ई-ग्रामीण शिविर

श्रम संहिताओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाना

17-19 अगस्त 2021

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

ई-ग्रामीण शिविर

श्रम संहिताओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाना

17-19 अगस्त 2021

डॉ. शशि बाला

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

सैक्टर - 24, नौएडा

ईमेल आईडी:-balashashi.vvgnli@gov.in

© वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

प्रतियों की संख्याः 150

प्रकाशन वर्षः 2022

यह प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.org
से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखक के अपने व्यक्तिगत विचार हैं।
उनसे वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्रकाशकः वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नौएडा-201301, उत्तर प्रदेश

मुद्रण स्थानः चंदू प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092

विषय-वस्तु

विवरण		पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
आभार		ix
अध्याय 1	परिचय	1
अध्याय 2	शिविर में भाग लेने वालों की प्रोफाइल	10
अध्याय 3	गांव में उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं	18
अध्याय 4	समस्याओं की पहचान	23
अध्याय 5	अवैतनिक कार्य का पता लगाना	28
अध्याय 6	मामला अध्ययन	30
अध्याय 7	निष्कर्ष और सिफारिशें	32
अनुलग्नक 1	ई-शिविर का पहला दिन	33
अनुलग्नक 1.1	वीवीजीएनएलआई का परिचय	33
अनुलग्नक 1.2	सवयं को समझाना	35
अनुलग्नक 1.3	लिंग (जेंडर) को समझाना	37
अनुलग्नक 2	ई-शिविर का दूसरा दिन	39
अनुलग्नक 2.1	श्रम संहिताएं: एक सिंहावलोकन	39
अनुलग्नक 2.2	सामाजिक सुरक्षा संहिता	41
अनुलग्नक 3	ई-शिविर का तीसरा दिन	42
अनुलग्नक 3.1	प्रभावी संचार और पारस्परिक कौशल	42
अनुलग्नक 3.2	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यादशाएं संहिता	43
अनुलग्नक 4	समस्या की पहचान पर प्रश्नावली	45
अनुलग्नक 5	समय सर्वेक्षण पर प्रश्नावली	50

तालिकाओं की सूची

तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
2.1	प्रतिभागियों का लिंगवार प्रतिशत	10
2.2	प्रतिभागियों की उच्चतम शिक्षा	11
2.3	बाल देखभाल में प्रतिभागियों की भागीदारी	11
2.4	गांव के विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता	12
2.5	प्रतिभागियों की भूमि जोत	13
2.6	प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त बैंकिंग सेवाएं	14
2.7	प्रतिभागियों की रोजगार की स्थिति	14
2.8	प्रतिभागियों के स्वामित्व वाले दस्तावेज	15
2.9	प्रतिभागियों के स्कूल जाने वाले बच्चे	16
2.10	प्रतिभागियों की कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति	17
3.1	गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट का उपकरण और इसका उपयोग करने का उद्देश्य	18
3.2	गांव में इंटरनेट टावर	19
3.3	गांव में शौचालय की सुविधा तक पहुंच	19
3.4	पेयजल उपलब्धता	20
3.5	प्रतिभागी के घर के पास उपलब्ध शैक्षणिक संस्थान	21
3.6	बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच	21
3.7	एमएसएमई और गांव में रोजगार	22
4.1	पानी की उपलब्धता से संबंधित समस्या	23
4.2	गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में समस्या	23
4.3	भूमि जोत के संबंध में विवाद	24
4.4	बिजली की उपलब्धता के संबंध में समस्याएं	25
4.5	घरेलू हिंसा	25
4.6	बाल श्रम	26
4.7	गांव में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई	27
5.1	प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा एक दिन में विभिन्न गतिविधियों में बिताया गया औसत समय (मिनटों में)	28

चित्रों की सूची

चित्र संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
2.1	प्रतिभागियों का लिंगवार प्रतिशत	10
2.2	प्रतिभागियों की उच्चतम शिक्षा	11
2.3	बाल देखभाल में प्रतिभागियों की भागीदारी	12
2.4	गांव के विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता	12
2.5	प्रतिभागियों की भूमि जोत	13
2.6	प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त बैंकिंग सेवाएं	14
2.7	प्रतिभागियों की रोजगार की स्थिति	15
2.8	प्रतिभागियों के स्वामित्व वाले दस्तावेज	15
2.9	प्रतिभागियों के स्कूल जाने वाले बच्चे	16
2.10	प्रतिभागियों की कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति	17
3.1	इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिवाइस और गांव में इंटरनेट का उपयोग करने का उद्देश्य	18
3.2	गांव में इंटरनेट टावर	19
3.3	गांव में शौचालय की सुविधा तक पहुंच	20
3.4	पेयजल उपलब्धता	20
3.5	प्रतिभागी के घर के पास उपलब्ध शैक्षणिक संस्थान	21
3.6	बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच	22
3.7	एमएसएमई और गांव में रोजगार	22
4.1	पानी की उपलब्धता से संबंधित समस्या	23
4.2	गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में समस्या	24
4.3	भूमि जोत के संबंध में विवाद	24
4.4	बिजली की उपलब्धता के संबंध में समस्याएं	25
4.5	घरेलू हिंसा	26
4.6	बाल श्रम	26
4.7	गांव में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई	27
5.1	प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा एक दिन में विभिन्न गतिविधियों में बिताया गया औसत समय (मिनटों में)	29

प्रस्तावना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। वे किसान, मजदूरी कमाने वाले और व्यवसाय के मालिक हैं। स्थानीय महिलाएं पारंपरिक ज्ञान के रखवाले के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो उनके समुदायों की आजीविका, लचीलापन और संस्कृति के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महिलाएं अनोखे तरीके से योगदान कर सकती हैं।

महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी) पुरुष एलएफपी की तुलना में कम रही है। अवैतनिक श्रम में महिलाओं संख्या अधिक है, और जब महिलाओं को सवेतन कार्यों में लगाया जाता है तो अनौपचारिक क्षेत्र और गरीबों में उनका अधिक प्रतिनिधित्व होता है।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य कृषि में महिलाओं की आधारभूत स्थिति को उजागर करना है। इस अध्ययन के लक्ष्य हैं - ग्रामीण समाज और आर्थिक संबंधों की समझ विकसित करना, सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा करना, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल विकसित करना और श्रम संहिताओं 2020 एवं महिला श्रमिकों के बारे में श्रम कानूनों से परिचित कराना वर्तमान अध्ययन लैंगिक आयामों के प्रति एक निष्पक्ष और न्यायसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और लागू करने का एक प्रयास है। हमें उम्मीद है कि वर्तमान शोध कृषि क्षेत्र में मौजूदा लैंगिक असमानताओं को कम करने के उनके प्रयास में सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद होगा। मैं डॉ. शशि बाला, फेलो और उनकी टीम को इस दिशा में उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हुँ।

अमित निर्मल
महानिदेशक
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

आभार

इस अध्ययन को आरंभ एवं पूरा करने का अवसर प्रदान करने के लिए हम डॉ. एच श्रीनिवास, भूतपूर्व महानिदेशक एवं श्री अमित निर्मल, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण अध्ययन को संचालित करने और पूरा करने में समर्थन के लिए वीवीजीएनएलआई टीम का भी आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं पूरी परियोजना टीम: सुश्री निमरा खान एवं डॉ. भूमिका बत्रा (रिसर्च एसोसिएट) और सुश्री मंजू सिंह (कंप्यूटर ऑपरेटर) के साथ-साथ डॉ. एम. एम. रहमान एवं श्री बी. एस. रावत (वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी) को इस रिपोर्ट को मूर्तरूप देने में उनके निरंतर और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूँ।

अंत में, मैं अपने हौसला बढ़ाने वाले परिवार, जिसने हमेशा, खासकर जब मैं अपने काम को कार्यालय समय के इतर भी करती हूँ, मुझे सहयोग किया है, का धन्यवाद करती हूँ। उनके व्यक्तिगत सहयोग मेरे लिए अनमोल खज़ाना हैं।

डॉ. शशि बाला
फेलो

अध्याय 1 : परिचय

वर्तमान ई-ग्रामीण शिविर कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र के तहत प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाने और श्रम संहिताओं पर जागरूकता प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था।

क्रियाविधि:

अध्ययन क्षेत्र का चयन प्रतिभागियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, रोजगार विवरण और अन्य सामाजिक मानकों के आधार पर किया गया था। मापदंडों के चयन के संबंध में सभी जानकारी अनुसंधान अध्ययन कृषि संकट को समझना: उत्पादन, रोजगार और उभरती चुनौतियों का अध्ययन से ली गई थी।

इन गांवों में वर्ष 2021 के दौरान किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर अध्ययन क्षेत्र का चयन ई-ग्रामीण शिविर आयोजित करने के लिए किया गया था। स्थानीय प्रशासन जैसे सरपंच, प्रधान और स्थानीय प्रगणक ने प्रतिभागियों के एक बैच के चयन में सहायता प्रदान की। प्रतिभागियों का चयन केवल जिले तक सीमित था। हालांकि, इन प्रतिभागियों ने विविध विशेषताओं का प्रतिनिधित्व किया। शिविर शुरू करने से पहले प्रशासन से पर्याप्त समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधान के साथ ऑनलाइन बैठकें की गई। शिविर के दौरान सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रधान और उनकी टीम भी मौजूद थी।

अध्ययन का उद्देश्य:

- ग्रामीण समाज और आर्थिक संबंधों की समझ विकसित करना।
- सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा करना।
- नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकसित करना।
- महिला कामगारों से संबंधित श्रम संहिता 2020, श्रम कानूनों से परिचित कराना।

सीमाएं:

1. प्रतिभागियों को इकट्ठा करने में कठिनाई।
2. बार-बार बिजली कटौती।
3. हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस करने में कठिनाई।
4. प्रतिभागियों को लंबे समय तक शिविर में बनाए रखना मुश्किल है।
5. प्रतिभागियों और सूत्रधारों की भाषा में अंतर। इस स्थिति में स्थानीय आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं ने मदद की।

शिविर की तैयारी

ग्राम धौरहरा, जिसने यह ई-ग्रामीण शिविर आयोजित किया, में हम प्रतिभागियों की मौजूदा विशेष समस्याओं का पता लगाने में सफल रहे। मामला अध्ययन और व्यक्तिगत साक्षात्कार की मदद से कई अलग-अलग समस्याएं और शिकायतें देखी गईं, जिनका इस रिपोर्ट में आगे विश्लेषण किया गया है। प्रतिभागियों और स्थानीय अधिकारियों का चयन किया गया और शिविरों से संबंधित विवरण के बारे में उन्हें अग्रिम रूप से सूचित किया गया। प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 थी।

शिविर का संचालन

यह शिविर खाली ग्राम पंचायत भवन में आयोजित किया गया था। इसमें कई खाली कमरे और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंखे थे। यह स्थान गांव के मध्य में स्थित था ताकि प्रतिभागी आसानी से पहुंच सकें। चूंकि शिविर एक ई-ग्रामीण शिविर था, स्थानीय प्रगणक ने प्रतिभागियों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की और संस्थान एवं प्रतिभागियों को जोड़ने के लिए एक लैपटॉप और स्पीकर का उपयोग किया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हुआ, कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित सभी सावधानियों का पालन किया गया।

शिविर के पहले दिन की शुरुआत परियोजना निदेशक डॉ. शशि बाला द्वारा संस्थान के परिचय के साथ की गयी। इसके उपरांत शिविर का उदघाटन संस्थान के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास द्वारा किया गया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक रूपक के द्वारा पुरुषों और महिलाओं के बीच एकता के महत्व को समझाया, जैसे एक गाड़ी एक साथ दो पहियों के समर्थन के बिना नहीं चल सकती। महिलाओं और पुरुषों के बीच एकता के बिना मानव जाति का नाश हो जाएगा। उन्होंने प्रतिभागियों को शिविर के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम किसी और को जानने के बजाय खुद को जानेंगे तो हमें फायदा होगा। उन्होंने खुद की मजदूरी जानने के महत्व का भी वर्णन किया। समापन के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए ज्ञान का प्रसार करें और समाज के समग्र विकास में योगदान दें।

महानिदेशक के संबोधन के बाद ग्राम प्रधान श्रीमती गीता यादव ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और उनसे शिविर के ज्ञान को धैर्यपूर्वक सीखने एवं अपने जीवन में लागू करने का अनुरोध किया। उन्होंने शिविर को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन भी दिया।

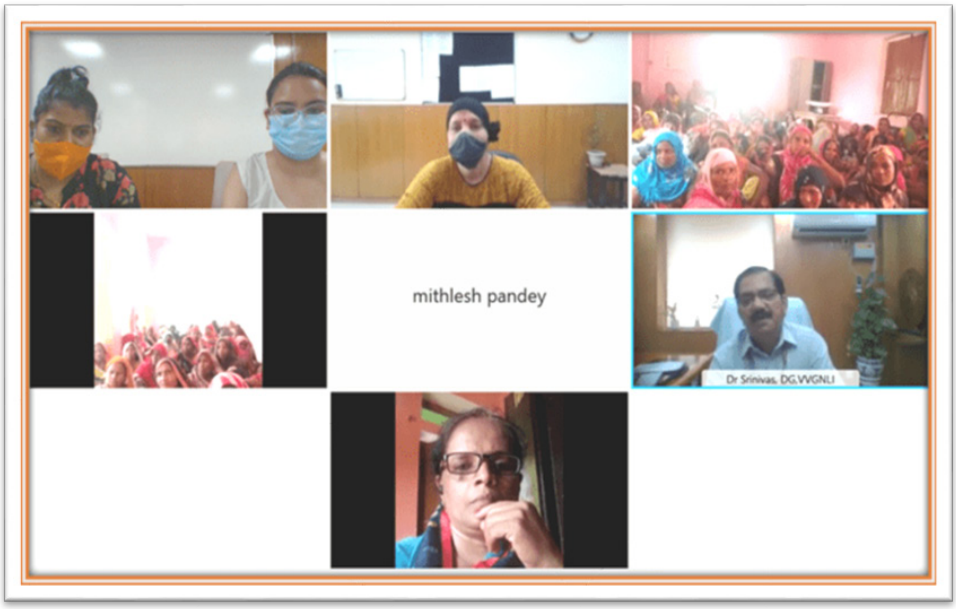

इसके बाद डॉ. शशि बाला द्वारा शिविर का पहला सत्र शुरू किया गया, इसका उद्देश्य स्वयं को जानना और समझना था। सत्र में एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण और गतिविधियों का उपयोग करते हुए भागीदारी दृष्टिकोण शामिल था जिसने प्रतिभागियों को अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया।

दोपहर 1-2 बजे प्रतिभागियों के लिए मध्यांतर (ब्रेक) के रूप में रखा गया था।

जेंडर को समझने पर एक नए सत्र के साथ शिविर 2 बजे फिर से शुरू हुआ। इस सत्र को परियोजना निदेशक डॉ. शशि बाला ने लिया, उन्होंने सत्र को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इंटरैक्टिव वीडियो का उपयोग किया और प्रतिभागियों से इसके बारे में प्रश्न पूछे।

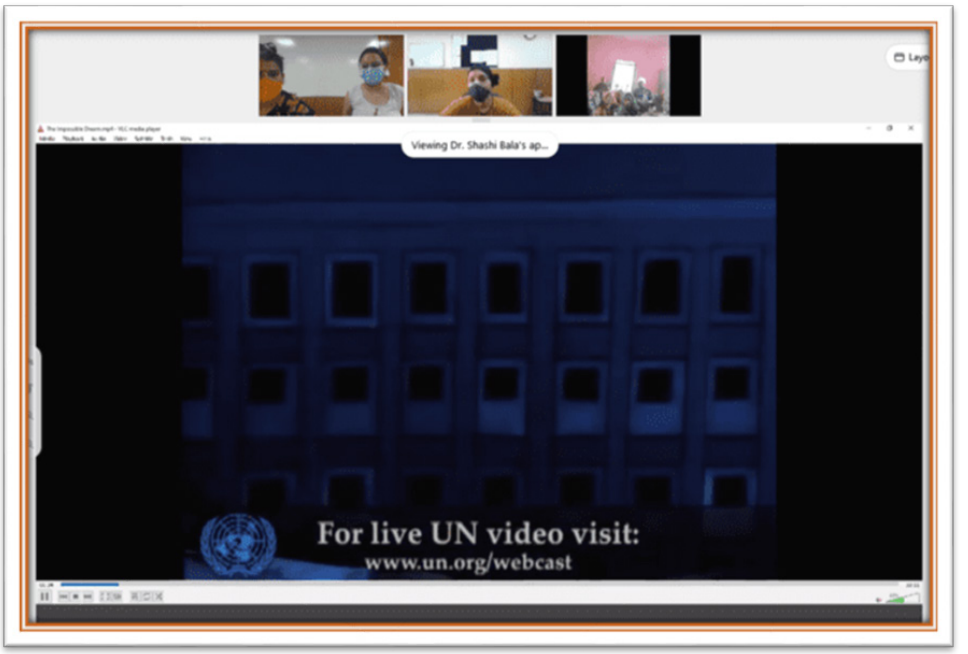

प्रतिभागियों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों की पहचान के साथ पहले दिन का समापन हुआ।

स्थानीय प्रगणक ने प्रतिभागियों के मूल विवरण दर्ज किए।

दूसरे दिन, श्रम संहिताओं और उनके महत्व पर डॉ. शशि बाला के सत्र के साथ शिविर फिर से शुरू हुआ। दूसरा सत्र प्रोफेसर सुनील बख्शी द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 के संबंध में लिया गया था। उनके सत्र में मजदूरी संहिता की कवरेज और प्रयोज्यता, इसकी परिभाषा, वेतन पर मजदूरी संहिता का प्रभाव, कर्मचारी और श्रमिकों के बीच अंतर, मजदूरी संहिता लैंगिक आधार पर भेदभाव को कैसे रोकती है, शामिल थे।

दोपहर 1-2 बजे प्रतिभागियों के लिए मध्यांतर के रूप में रखा गया था।

डॉ. शशि बाला का सत्र प्रतिभागियों के नेतृत्व कौशल के विकास पर था। यह एक सहभागी सत्र था और प्रत्येक प्रतिभागी को एक अच्छे नेता के गुणों को परिभाषित करने के लिए कहा गया था। प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं - एक अच्छा नेता वह व्यक्ति होता है जो सभी को एक साथ रखता है और जो अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को समान रूप से महत्व देता है, चाहे उसका समुदाय कुछ भी हो।

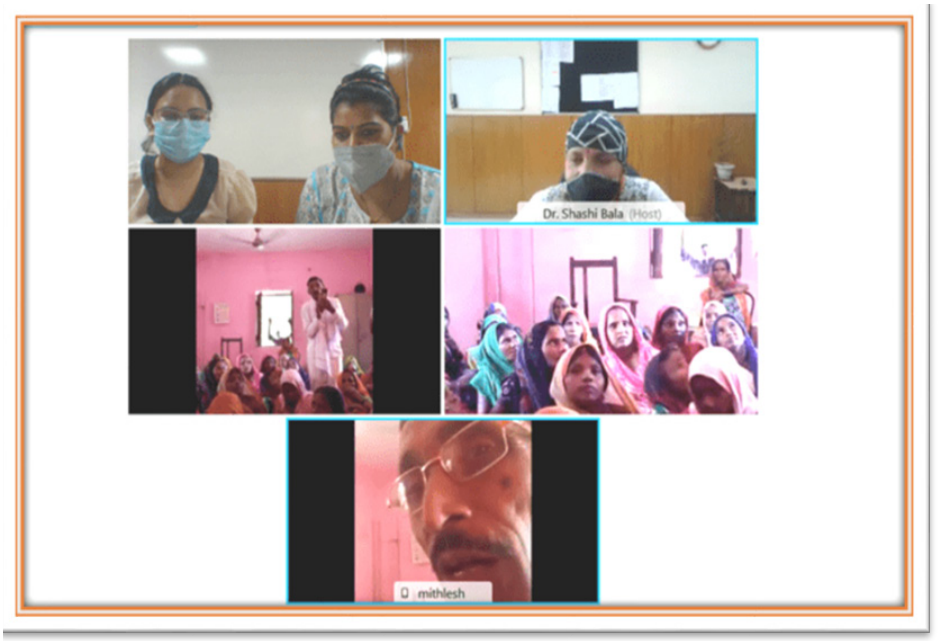

अंतिम सत्र श्री खेमराज ने लिया, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को परिभाषित किया। उन्होंने श्रम पंजीकरण के महत्व, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, मनरेगा में एमईटी/पर्यवेक्षक की भूमिका, स्वयं सहायता समूहों को परिभाषित किया और कोविड से संबंधित जानकारी के साथ सत्र का समापन किया।

तीसरे दिन की शुरुआत डॉ. रश्मि मैनी के सत्र से हुई, जिसका उद्देश्य प्रभावी संचार और पारस्परिक कौशल की व्याख्या करना था। उन्होंने अपने सत्र की शुरुआत एक कहानी से की। उन्होंने प्रत्येक प्रतिभागी से उनका नाम, उनकी ताकत पूछकर अपने सत्र को संवादात्मक बनाए रखा और उन्हें प्रकृति की एक चीज

से खुद को जोड़ने के लिए कहा। अपने सत्र में उन्होंने शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, घरेलू जिम्मेदारियों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दूसरों के साथ खुशखबरी और खुशियाँ बाँटने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने सरकार की कुछ विशिष्ट योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए सत्र का समापन किया।

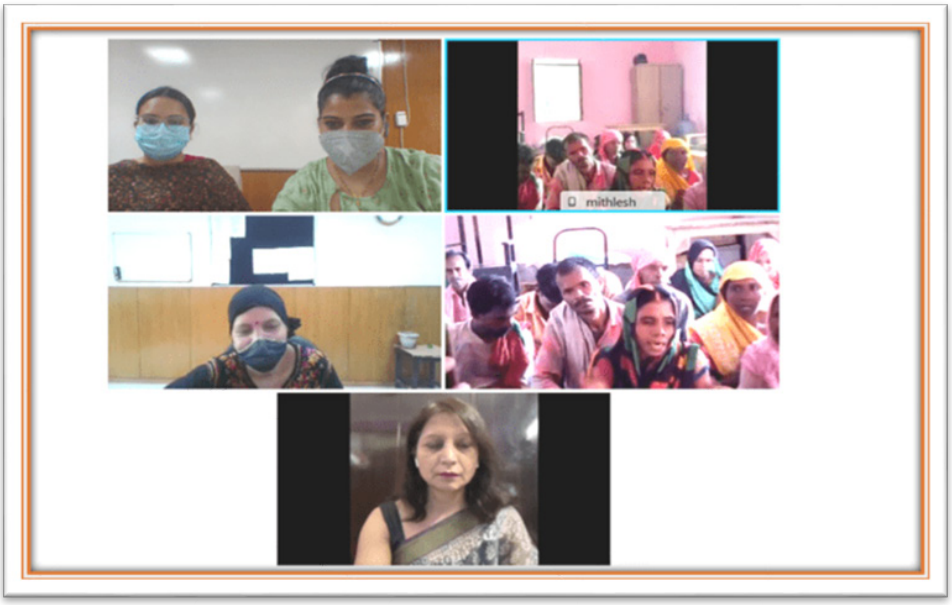

1-2 बजे प्रतिभागियों के लिए मध्यांतर के रूप में रखा गया था।

विराम के बाद अंतिम सत्र प्रो. सुनील बख्शी ने लिया, जिसमें उन्होंने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020 पर जानकारी प्रदान की।

शिविर से पहचानी गई समस्याएं:

- पूरे दिन किसी और के खेत में काम करने और पूरे दिन के काम में 10 किलो अनाज की कटाई करने पर एक श्रमिक को मजदूरी के रूप में केवल 1 किलो अनाज मिलता है।
- जमींदारों द्वारा खेतिहर मजदूरों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है।
- सरकारी योजना से मकान आवंटित है लेकिन उस में शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वयस्कों से लेकर बच्चों तक खुले में शौच करते हैं जिसके कारण गांव में बीमारियां फैलती हैं।
- सभी प्रतिभागियों को आवास आवंटित नहीं किया गया था और उन्हें अस्थायी स्थानों पर रहना पड़ता है। अस्थायी स्थान सुरक्षित नहीं हैं और इनमें बरसात के मौसम में रिसाव होता है।
- गांव में कोई सार्वजनिक शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है; प्रतिभागियों को खुले में शौच करना पड़ता है।
- गांव में आने-जाने के लिए पक्की/कंक्रीट सड़क नहीं है। इससे स्कूलों, कार्यस्थलों और बाजारों में आने-जाने में कठिनाई होती है।
- बेहतर जीवन स्तर के लिए गांव में रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान मजदूरी और रोजगार के अवसरों के साथ, प्रतिभागी अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे थे।
- कोविड-19 के दौरान मनरेगा श्रमिकों के लिए कोई काम उपलब्ध नहीं था।
- मनरेगा श्रमिकों को प्राप्त होने वाली मजदूरी अपर्याप्त थी। उनकी कमाई पर्याप्त नहीं थी।
- हर साल गांव में बाढ़ आ जाती है और इससे फसल नष्ट हो जाती है।
- स्वास्थ्य केंद्र गांव से 3 किमी दूर उपलब्ध हैं। सड़कों का निर्माण ठीक से नहीं होने के कारण कोई भी चौपहिया वाहन मरीज को अस्पताल नहीं ले जा सकता। ऐसे में आपात स्थिति में एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है।

आँगनवाड़ी केन्द्र कोड नं: 09187040702/711
गाँव - घोरहरा (I - II - III)
mithlesh

हिन्दी वर्णमाला
अः
ङ
ञ
ण
mithlesh

mithlesh

अध्याय 2 : शिविर में भाग लेने वालों की प्रोफाइल

भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाएं महत्वपूर्ण और उत्पादक कर्मचारी हैं। विकास में ग्रामीण महिलाओं के महत्व को कम करके आंकना सांख्यिकीय रूप से पक्षपाती है। वैश्विक लैंगिक समानता आंदोलन की आधारशिलाओं में से एक समान श्रम के लिए समान वेतन है। हालांकि, श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, समान श्रम करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए वेतन समानता के मामले में भारत में न्यूनतम विकास हुआ है। एक और तथ्य यह है कि जहां देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन विसंगतियां हमेशा मौजूद रही हैं, वे गतिविधि की विशेष श्रेणियों में व्यापक हो गई हैं।

लैंगिक प्रोफ़ाइल

तालिका 2.1 वर्तमान अध्ययन के प्रतिभागियों के लैंगिक (नमूना) वितरण को दर्शाती है। यह पाया गया कि प्रतिभागियों में 60% महिलाएं और 40% पुरुष थे।

तालिका 2.1: प्रतिभागियों का लिंगवार प्रतिशत

लिंग		कुल
महिला	पुरुष	
60.00	40.00	100.00

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र: 2.1: प्रतिभागियों का लिंगवार प्रतिशत

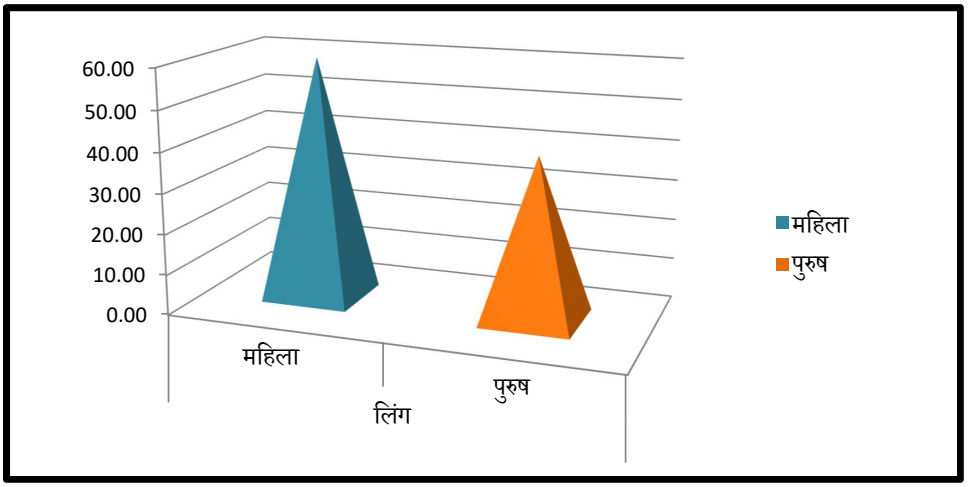

उच्चतम शिक्षा

तालिका 2.2 वर्तमान अध्ययन के प्रतिभागियों की उच्चतम शिक्षा को दर्शाती है। यह पाया गया है कि 7.27% महिलाओं और 7.27% पुरुषों ने प्राथमिक स्तर तक, 9.09% महिलाओं और 10.91% पुरुषों ने माध्यमिक स्तर तक, 4.91% महिलाओं और 5.45% पुरुषों ने उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई की, जबकि केवल 0.82% महिलाओं और 1.82% पुरुषों ने स्नातक तक पढ़ाई की है और 37.91% महिलाएं और 14.55% पुरुष साक्षर नहीं थे।

तालिका 2.2: प्रतिभागियों की उच्चतम शिक्षा

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
उच्चतम शिक्षा	प्राथमिक	**7.27**	**7.27**	**14.55**
	माध्यमिक	9.09	10.91	20
	उच्च माध्यमिक	4.91	5.45	16.36
	स्नातक	0.82	1.82	3.64
	कोई पढ़ाई नही	37.91	14.55	45.45
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 2.2: प्रतिभागियों की उच्चतम शिक्षा

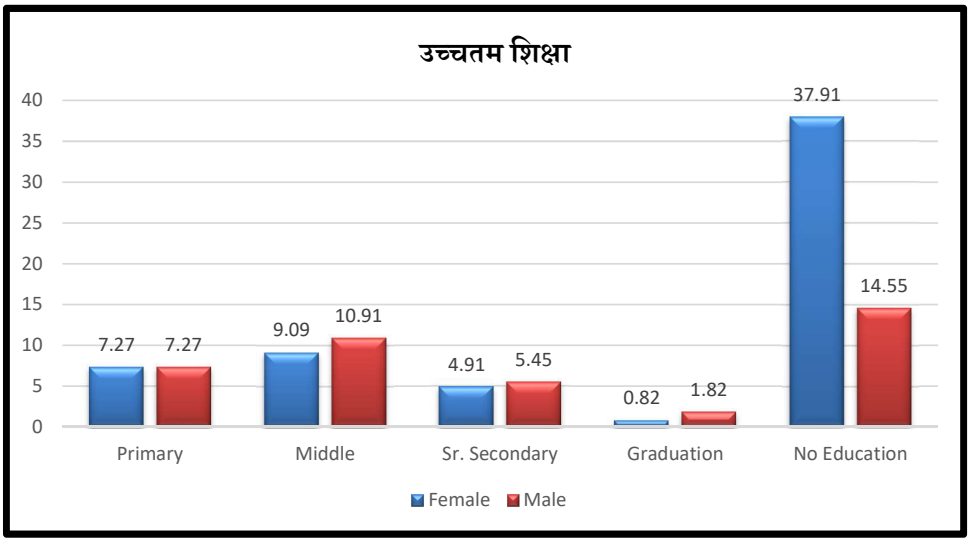

बाल देखभाल में प्रतिभागियों की भागीदारी

तालिका 2.3 बाल देखभाल में प्रतिभागियों की भागीदारी को दर्शाती है, और यह पाया गया है कि 56.36% महिलाएं और 34.55% पुरुष बाल देखभाल में शामिल थे।

तालिका 2.3: बाल देखभाल में प्रतिभागियों की भागीदारी

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
बाल देखभाल में भागीदारी	हाँ	56.36	34.55	90.91
	नहीं	3.64	5.45	9.09
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 2.3: बाल देखभाल में प्रतिभागियों की भागीदारी

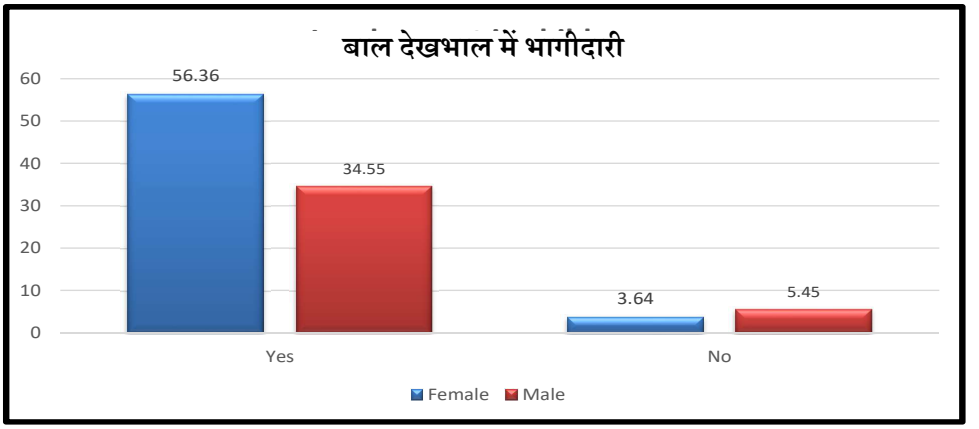

विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता

तालिका 2.4 गांव के विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता को दर्शाती है और यह पाया गया है कि 56.36% महिलाएं और 34.55% पुरुष मनरेगा, ग्राम प्रधान के माध्यम से और कौशल विकास केंद्र जैसे कार्यक्रमों के बारे में जानते थे।

तालिका 2.4: गांव के विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
गांव के विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता	हाँ	56.36	34.55	90.91
	नहीं	3.64	5.45	9.09
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**
कार्यक्रम के प्रकार	ग्राम प्रधान के माध्यम से	1.82	3.64	5.45
	कौशल विकास केंद्र	1.82	0.00	1.82
	मनरेगा	52.72	30.91	83.64
कुल		**56.36**	**34.55**	**90.91**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र **2.4:** गांव के विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता

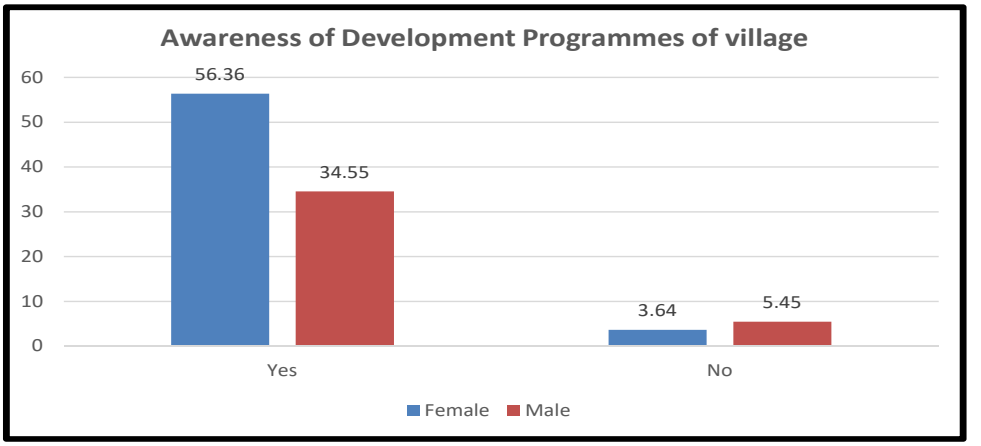

प्रतिभागियों की भूमि जोत

तालिका 2.5 प्रतिभागियों की भूमि जोत को दर्शाती है, और यह पाया गया कि 27.27% महिलाओं और 36.36% पुरुषों के पास 0-2 बीघा से लेकर 4-6 बीघा तक की भूमि जोत है।

तालिका 2.5: प्रतिभागियों की भूमि जोत

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
स्वामित्व वाली भूमि जोत	हाँ	27.27	36.36	63.63
	नहीं	23.64	12.73	36.36
कुल		**50.91**	**49.09**	**100.00**
भूमि के आकार	0-2 बीघा	16.36	14.54	30.91
	2-4 बीघा	9.09	18.18	27.27
	4-6 बीघा	1.82	3.64	5.46
कुल		27.27	36.36	**63.63**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 2.5: प्रतिभागियों की भूमि जोत

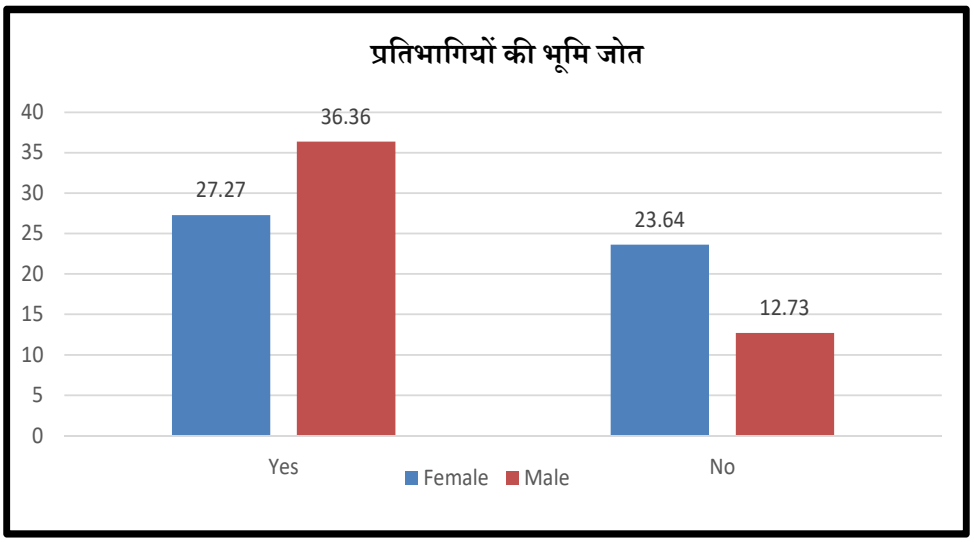

बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया

तालिका 2.6 प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त बैंकिंग सेवाओं को दर्शाती है, और यह पाया गया है कि 52.73% महिलाओं और 40.00% पुरुषों ने बचत खाते जैसी बैंकिंग सेवा का लाभ उठाया है।

तालिका 2.6: प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त बैंकिंग सेवाएं

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना	हाँ	52.73	40.00	92.73
	नहीं	7.27	0.00	7.27
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**
प्राप्त बैंकिंग सेवाओं का प्रकार	सावधि जमा	0.00	3.64	3.64
	बचत खाता	52.73	36.36	89.09
कुल		**52.73**	**40.00**	**92.73**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 2.6: प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त बैंकिंग सेवाएं

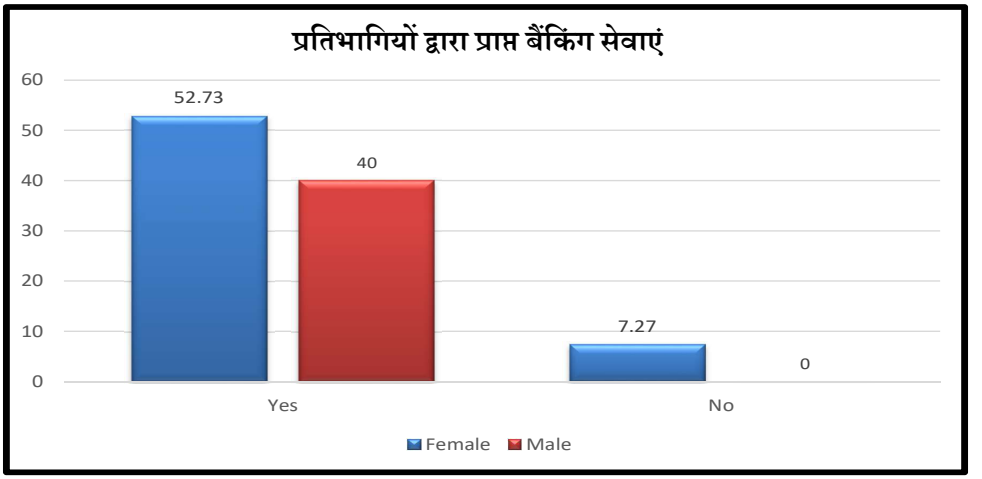

प्रतिभागियों की रोजगार की स्थिति

तालिका 2.7 प्रतिभागियों की रोजगार की स्थिति को दर्शाती है जहां 7.27% महिलाएं और 12.73% पुरुष कार्यरत थे, जिनमें से 6% महिलाएं और 10.43% पुरुष कृषि क्षेत्र में और 1.27% महिलाएं और 2.30% पुरुष कृषि की संबद्ध गतिविधि में कार्यरत थे।

तालिका 2.7: प्रतिभागियों की रोजगार की स्थिति

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
रोज़गार की स्थिति	हाँ	7.27	12.73	20.00
	नहीं	52.73	27.27	80.00
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**
कार्य की प्रकृति	कृषि	6.00	10.43	17.70
	कृषि की संबद्ध गतिविधियाँ	1.27	2.30	2.30
कुल		**7.27**	**12.73**	**20.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 2.7: प्रतिभागियों की रोजगार की स्थिति

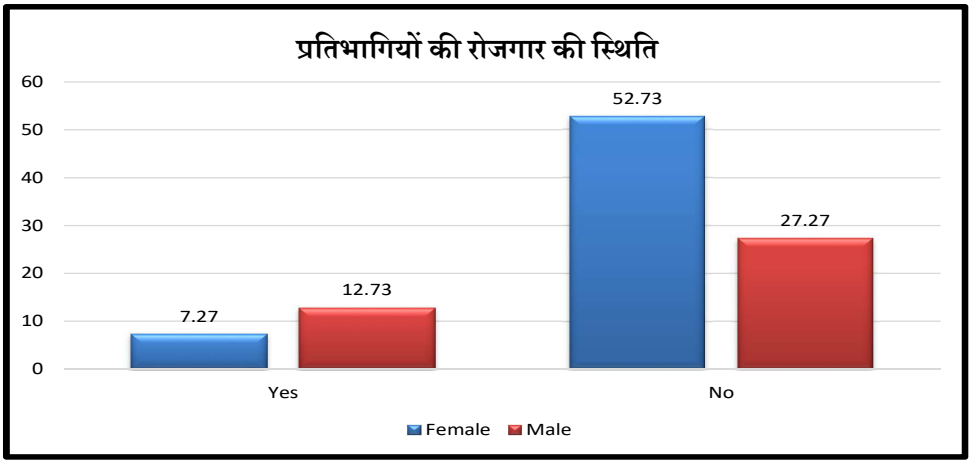

प्रतिभागियों के स्वामित्व वाले दस्तावेज़

तालिका 2.8 नमूना प्रतिभागियों के स्वामित्व वाले दस्तावेज़ को दर्शाती है। यह पाया गया कि 55% महिलाओं और 15% पुरुषों के पास आधार कार्ड था और 5% महिलाओं और 25% पुरुषों के पास मनरेगा कार्ड था।

तालिका 2.8: प्रतिभागियों के स्वामित्व वाले दस्तावेज़

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
स्वामित्व वाले दस्तावेज़	आधार	55.00	15.00	70.00
	मनरेगा कार्ड	5.00	25.00	30.00
कुल		60.0	40.0	100.0

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 2.8: प्रतिभागियों के स्वामित्व वाले दस्तावेज़

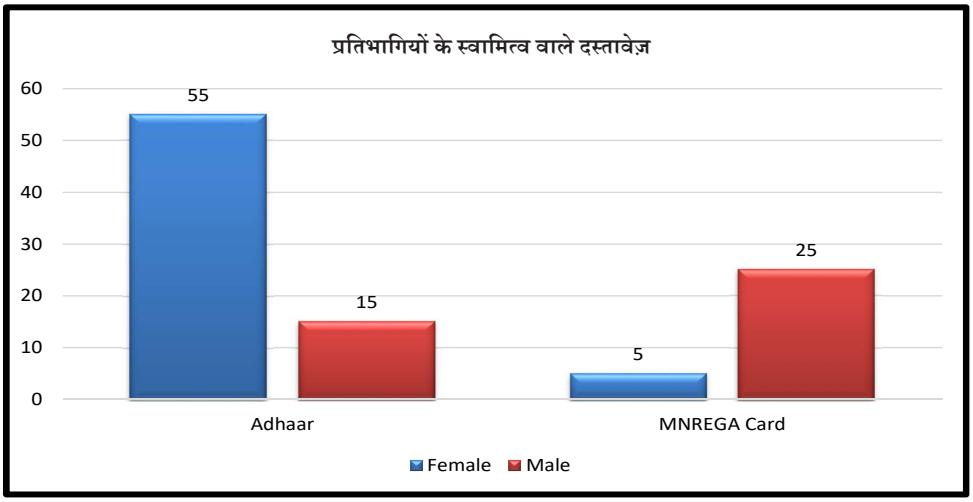

प्रतिभागियों के स्कूल जाने वाले बच्चे

तालिका 2.9 उत्तरदाताओं से स्कूल जाने वाले बच्चों को दर्शाती है और यह पाया गया कि 49.09% महिला और 23.64% पुरुष उत्तरदाताओं के बच्चे स्कूल जा रहे थे।

तालिका 2.9: प्रतिभागियों के स्कूल जाने वाले बच्चे

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
स्कूल या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में जाने वाले सभी बच्चे	हाँ	49.09	23.64	72.73
	नहीं	9.09	18.18	27.27
कुल		**58.18**	**41.82**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 2.9: प्रतिभागियों के स्कूल जाने वाले बच्चे

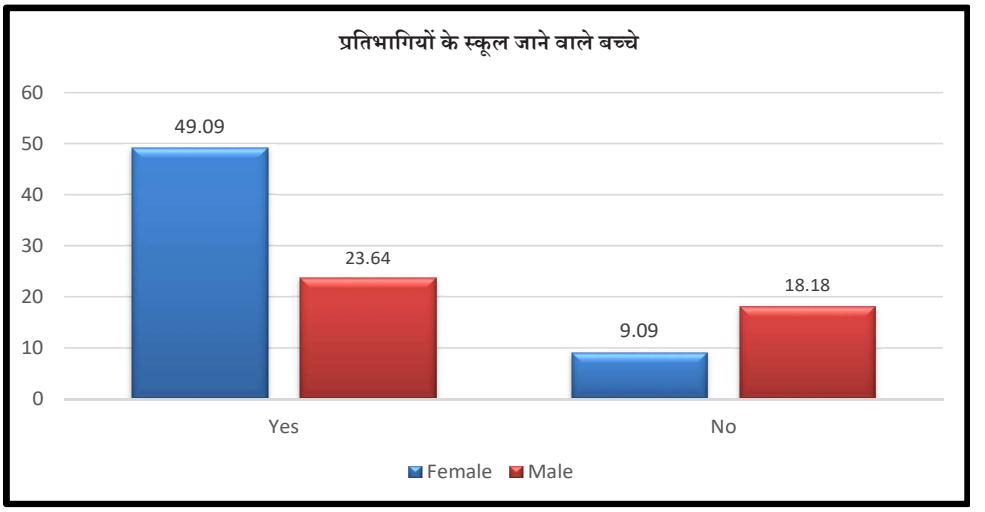

कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति

तालिका 2.10 से पता चलता है कि कितने लोगों ने कोविड-19 का टीकाकरण लिया है। यह पाया गया कि 50.91% महिलाओं और 25.45% पुरुषों ने कोविड-19 का टीकाकरण लिया, जिनमें से 40% महिलाओं और 34.55% पुरुषों को टीकाकरण के दौरान और बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

तालिका 2.10: प्रतिभागियों की कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
किसी भी कोविड-19 टीकाकरण को प्राप्त किया।	हाँ	50.91	25.45	76.36
	नहीं	9.09	14.55	23.64
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**
टीकाकरण प्राप्त करने में कठिनाई	हाँ	40.00	34.55	74.55
	नहीं	20.00	5.45	25.45
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 2.10: प्रतिभागियों की कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति

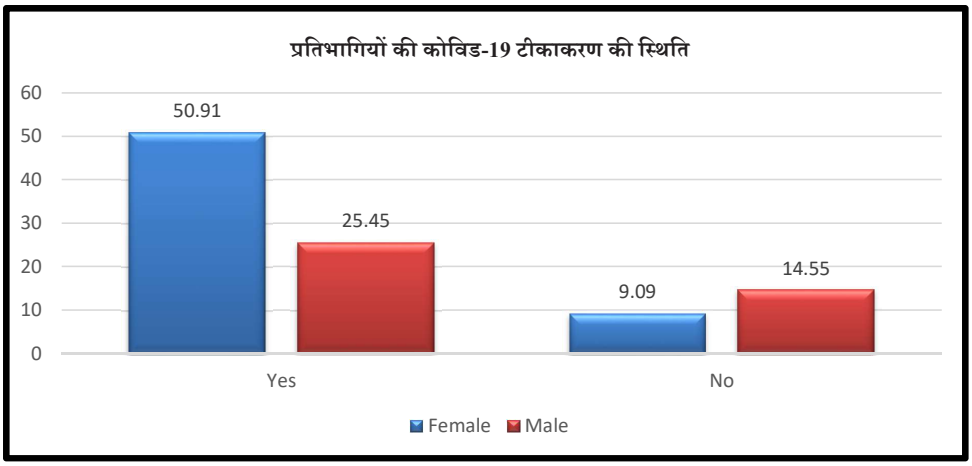

अध्याय 3 : गांव में उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं

खुद को सशक्त बनाने के अलावा, ग्रामीण भारतीय महिलाएं अपने निजी क्षेत्र से बाहर जा रही हैं और गांव के बुनियादी ढांचे में योगदान दे रही हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को पुरुषों के समान गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया है।

गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी

तालिका 3.1 गाँव में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के आँकड़े दिखाती है और 60% महिला एवं 40% पुरुष प्रतिभागियों ने कहा कि गाँव में 4जी साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। 48% महिलाएं और 36.36% पुरुष संचार, शिक्षा, मनोरंजन, और जानकारी इकट्ठा करना, इत्यादि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे।

तालिका 3.1: गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट का उपकरण और इसका उपयोग करने का उद्देश्य

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी	हाँ	60.00	40.00	100.00
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**
स्पीड	3 जी	12.00	3.64	15.64
	4 जी	48.00	36.36	84.36
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**
इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपकरण	मोबाइल	**60.00**	**40.00**	**100.00**
इंटरनेट का उपयोग करने का उद्देश्य	संचार	47.27	30.91	78.18
	शिक्षा	5.45	3.64	9.09
	मनोरंजन	1.82	3.64	5.45
	सूचना एकत्र करना	5.45	1.82	7.27
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 3.1: गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी

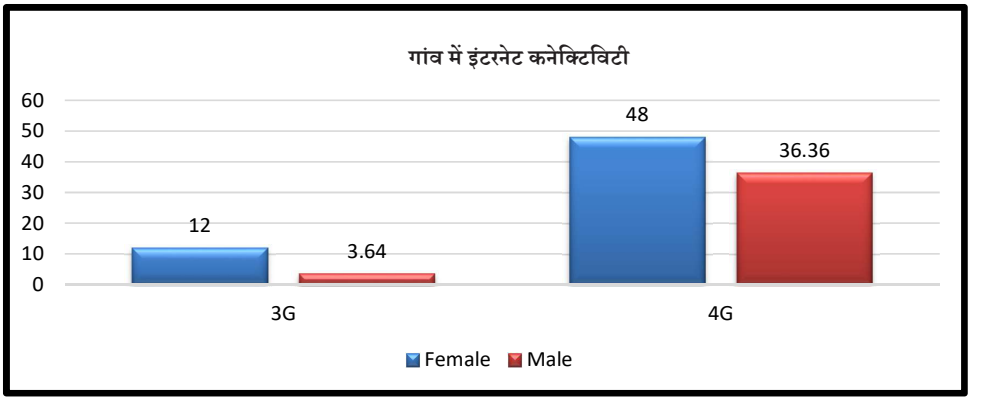

गांव में इंटरनेट टावर

तालिका 3.2 गाँव में इंटरनेट टावरों की संख्या दर्शाती है और यह पाया गया कि 5.45% महिलाओं एवं 9.09% पुरुषों ने टावरों की संख्या 1-2 और 54.55% महिलाओं एवं 30.91% पुरुषों ने 3-4 बताई।

तालिका 3.2: गांव में इंटरनेट टावर

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
गांव में इंटरनेट टावरों की संख्या	1-2	5.45	9.09	14.55
	3-4	54.55	30.91	85.45
	कुल	**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 3.2: गांव में इंटरनेट टावर

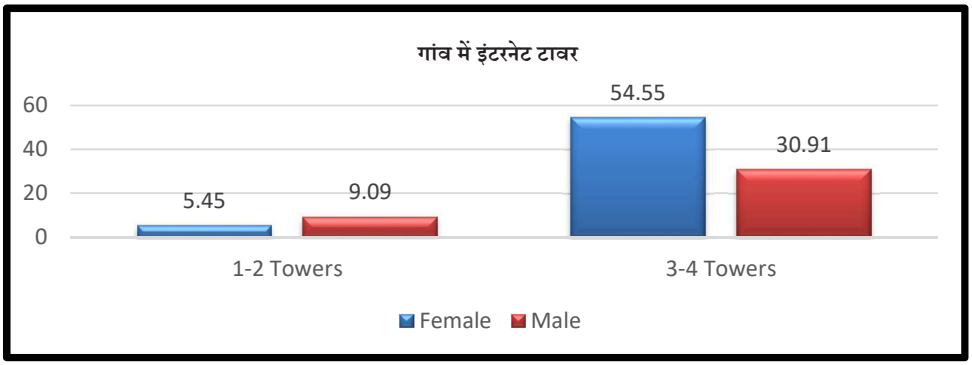

शौचालय सुविधाओं तक पहुंच

तालिका 3.3 में गांवों में मौजूद शौचालयों के आंकड़े दिए गए हैं और 49.09% महिलाओं एवं 23.64% पुरुषों ने यह सुविधा होने की बात कही। 36.36% महिलाएं और 9.09% पुरुष निजी शौचालयों का उपयोग कर रहे थे, और 12.73% महिलाएं और 14.55% पुरुष सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग कर रहे थे।

तालिका 3.3: गांव में शौचालय की सुविधा तक पहुंच

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
शौचालय सुविधाओं तक पहुंच	हाँ	49.09	23.64	72.73
	नहीं	10.91	16.36	27.27
	कुल	**60.00**	**40.00**	**100.00**
सुलभ शौचालयों का प्रकार	निजी (घर में)	36.36	9.09	45.45
	सार्वजनिक शौचालय	12.73	14.55	27.28
	कुल	**49.09**	**23.64**	**72.73**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 3.3: गांव में शौचालय की सुविधा तक पहुंच

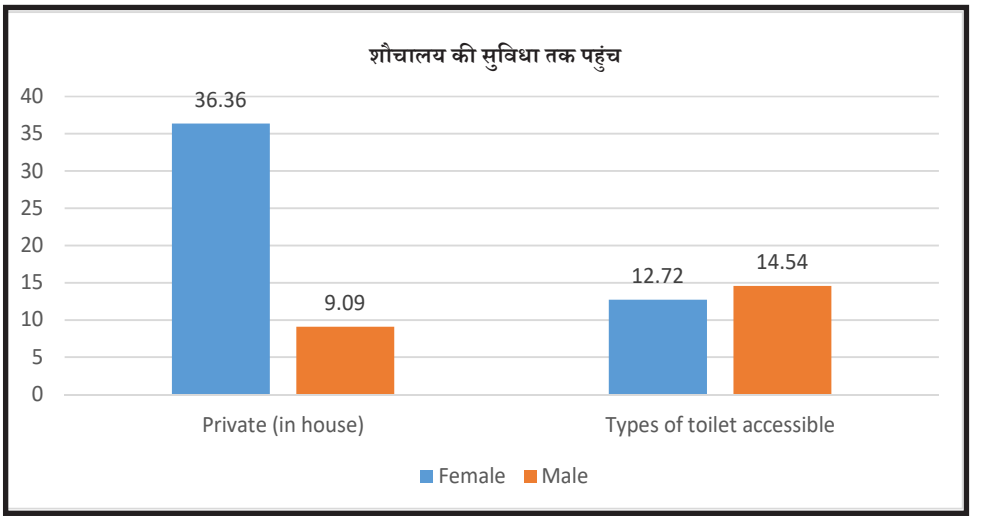

पेयजल उपलब्धता

तालिका 3.4 विभिन्न स्रोतों जैसे हैंडपंप (56.36% महिलाएं और 30.91% पुरुष), और नल (3.64% महिलाएं और 9.09%) पुरुष से प्राप्त पेयजल को दर्शाती है।

तालिका 3.4: पेयजल उपलब्धता

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
पेयजल प्राप्त करना	घर का हैंड पंप	56.36	30.91	87.27
	घर में नल	3.64	9.09	12.73
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 3.4: पेयजल उपलब्धता

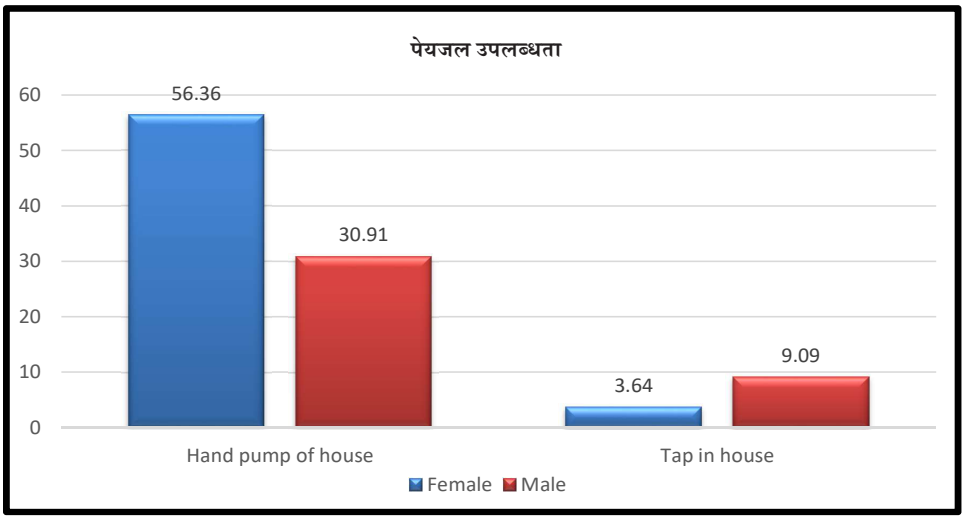

शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता

तालिका 3.5 यह दर्शाती है कि 56.36 फीसदी महिलाओं और 36.36 फीसदी पुरुषों ने बताया कि उनके आवास के पास शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता थी।

तालिका 3.5: प्रतिभागी के घर के पास उपलब्ध शैक्षणिक संस्थान

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
प्रतिभागी के घर के पास उपलब्ध शैक्षणिक संस्थान	हाँ	56.36	36.36	92.73
	नहीं	3.64	3.64	7.27
	कुल	**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 3.5: प्रतिभागी के घर के पास उपलब्ध शैक्षणिक संस्थान

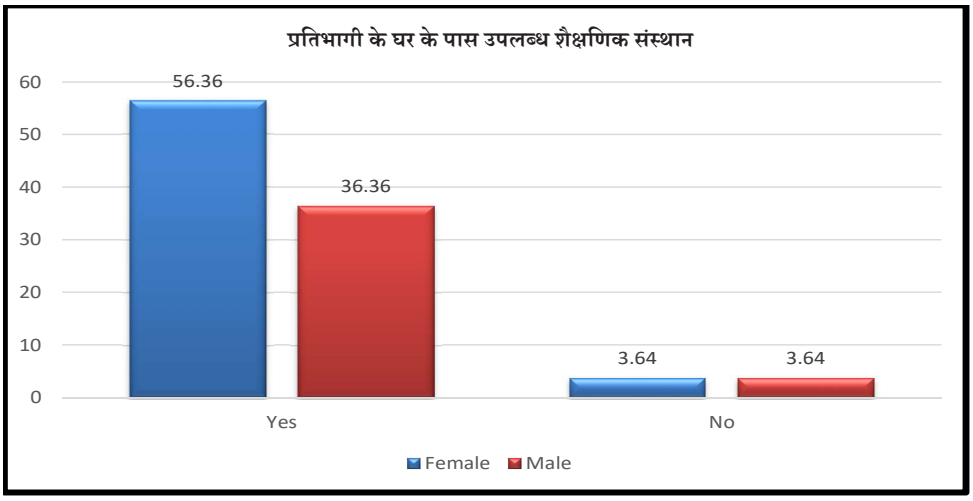

बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच

तालिका 3.6 उत्तरदाताओं के बच्चों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच को दर्शाती है। यह पाया गया है कि 30.91% महिला और 18.18% पुरुष उत्तरदाताओं के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच है और 10.25% महिला और 5.12% पुरुष उत्तरदाताओं के बच्चों को इसकी पहुंच के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

तालिका 3.6 बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच है	हाँ	30.91	18.18	49.09
	नहीं	29.09	21.82	50.91
	कुल	**60.00**	**40.00**	**100.00**
पहुँचते समय कठिनाई का सामना करना पड़ा	हाँ	10.25	5.12	67.27
	नहीं	20.66	13.06	32.73
	कुल	**30.91**	**18.18**	**49.09**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 3.6: बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच

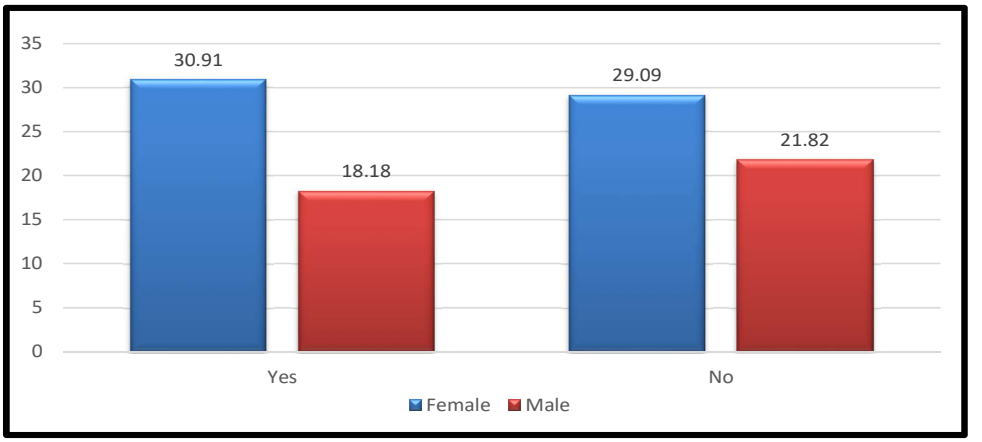

एमएसएमई और गांव में रोजगार

तालिका 3.7 गांव में रोजगार के रूप में एमएसएमई के उपयोग को दर्शाती है। यह पाया गया है कि 15.89% महिलाएं एवं 10.91% पुरुष एमएसएमई का उपयोग कर रहे हैं और 5.98% महिलाओं ने एमएसएमई से लाभ प्राप्त किया है जबकि 8.63% पुरुषों ने एमएसएमई से लाभ प्राप्त किया है।

तालिका 3.7: एमएसएमई और गांव में रोजगार

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
गांव में सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम	हाँ	15.89	10.91	26.80
	नहीं	44.11	29.09	73.2
	कुल	**60.00**	**40.00**	**100.00**
लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने वाले एमएसएमई	हाँ	5.98	8.63	14.61
	नहीं	9.91	2.28	12.19
	कुल	**15.89**	**10.91**	**26.80**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 3.7: गांव में एमएसएमई

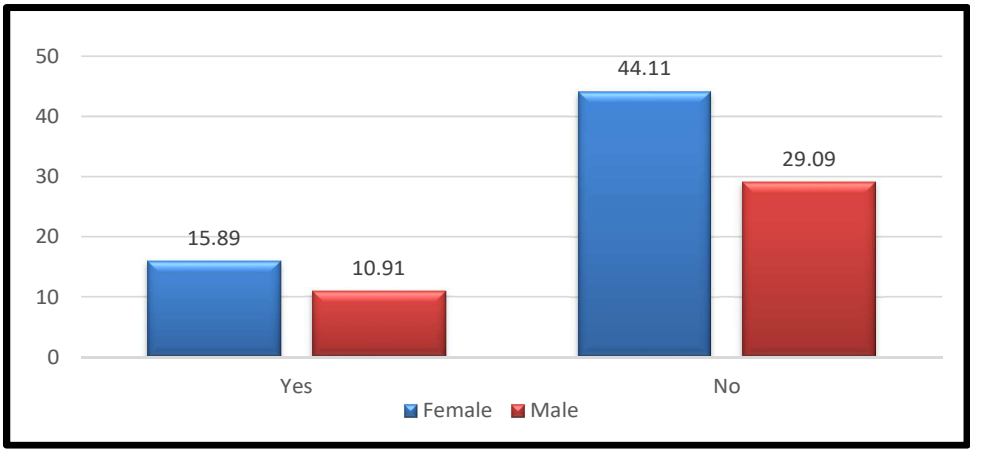

अध्याय 4: समस्याओं की पहचान

पानी की उपलब्धता से संबंधित समस्या

तालिका 4.1 पानी की उपलब्धता के मामले में ग्रामीणों के सामने आने वाली समस्याओं को दर्शाती है। 52.73% महिलाएं और 36.36 फीसदी पुरुष पानी की उपलब्धता की समस्या का सामना कर रहे थे।

तालिका 4.1: पानी की उपलब्धता से संबंधित समस्या

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
पानी की उपलब्धता के लिए समस्या का सामना	हाँ	52.73	36.36	89.09
	नहीं	7.27	3.64	10.91
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 4.1: पानी की उपलब्धता से संबंधित समस्या

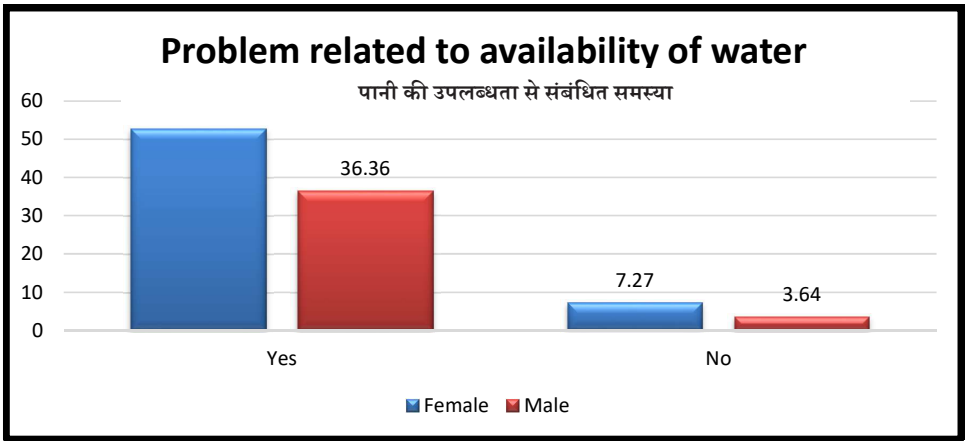

गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में समस्या

तालिका 4.2 गाँव के भीतर और बाहर ग्रामीणों को आने-जाने में आने वाली समस्याओं को दर्शाती है, 36.36% पुरुषों की तुलना में 50.91% महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ा।

तालिका 4.2: गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में समस्या

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में हो रही समस्या	हाँ	50.91	36.36	87.27
	नहीं	9.09	3.64	12.73
	कुल	**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 4.2: गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में समस्या

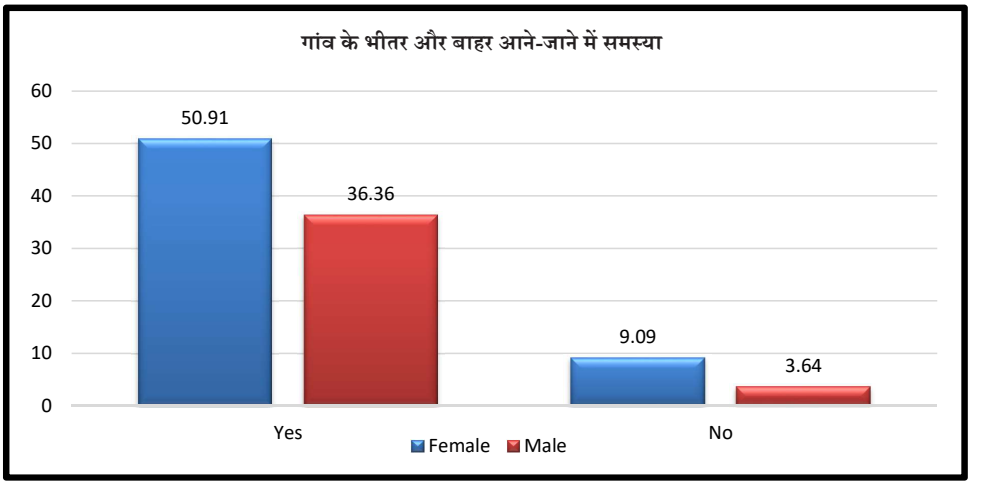

भूमि जोत के संबंध में विवाद

तालिका 4.3 भूमि जोत के संबंध में ग्रामीणों द्वारा सामना किए गए विवादों को दर्शाती है और 45.45% महिलाओं एवं 20% पुरुषों ने ऐसे विवादों का सामना किया।

तालिका 4.3: भूमि जोत के संबंध में विवाद

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
भूमि जोत के संबंध में किसी विवाद का सामना करना पड़ा	हाँ	45.45	20.00	65.45
	नहीं	14.55	20.00	34.55
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 4.3: भूमि जोत के संबंध में विवाद

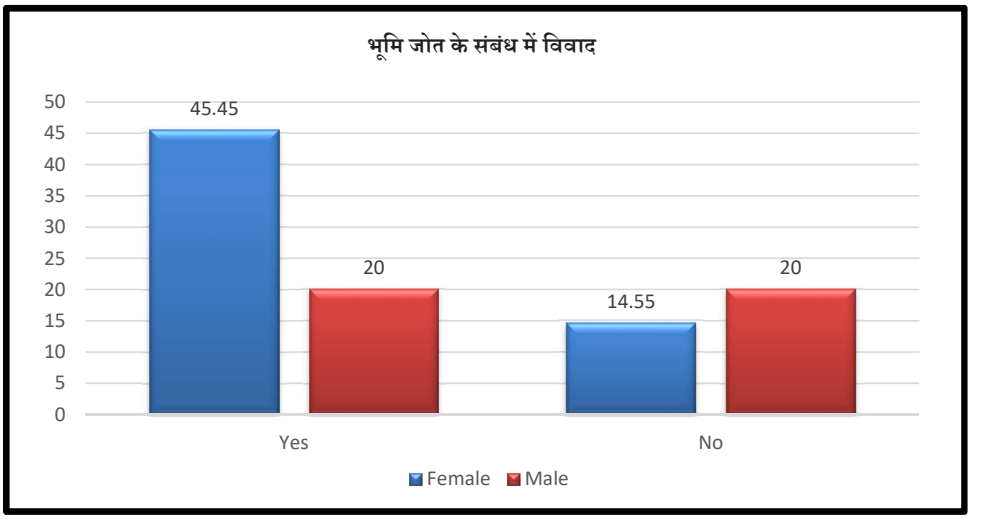

बिजली की उपलब्धता के संबंध में समस्याएं

तालिका 4.4 बिजली की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं को दर्शाती है और 45.45% महिलाओं एवं 32.73% पुरुषों को इस समस्या का सामना करना पड़ा।

तालिका 4.4: बिजली की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
बिजली की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं	हाँ	45.45	32.73	78.18
	नहीं	14.55	7.27	21.82
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 4.4: बिजली की उपलब्धता के संबंध में समस्याएं

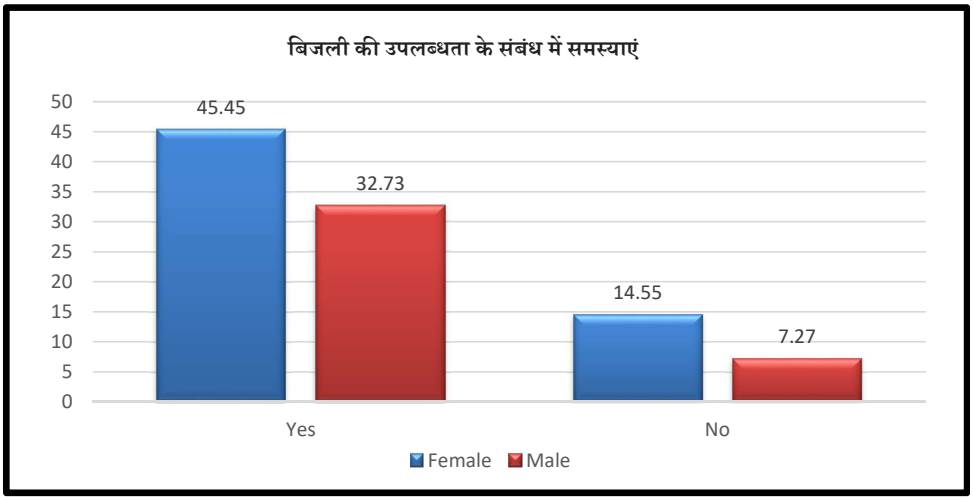

घरेलू हिंसा

तालिका 4.5 ग्रामीणों द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा को दर्शाती है और यह पाया गया कि 34.55% महिलाओं एवं 21.82% पुरुषों को घरेलू मुद्दों का सामना करना पड़ा और 27.27% महिलाओं एवं 14.55% पुरुषों ने प्राधिकरण को सूचित किया।

तालिका 4.5 घरेलू हिंसा

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
अपने जीवन में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा	हाँ	34.55	21.82	56.36
	नहीं	25.45	18.18	43.64
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**
उस की सूचना दी	हाँ	27.27	14.55	41.82
	नहीं	32.73	25.45	58.18
कुल		**60.00**	**40.00**	**100.00**

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 4.5: घरेलू हिंसा

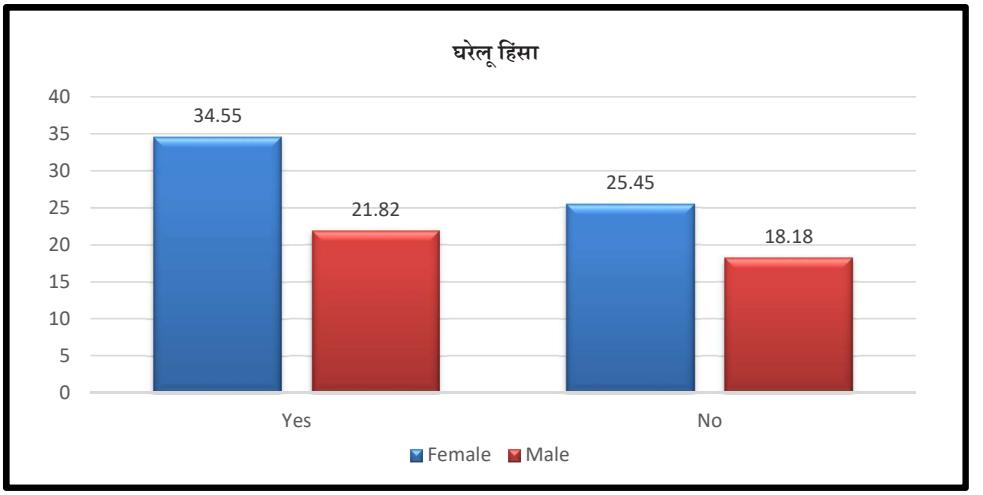

बाल श्रम

तालिका 4.6 बाल श्रम के आंकड़े दिखाती है और गांव में 50.91% महिलाओं एवं 29.09% पुरुषों ने बाल श्रम की घटनाओं की सूचना दी।

तालिका 4.6: बाल श्रम

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
गांव में बाल मजदूरी के साक्षी	हाँ	50.91	29.09	80.00
	नहीं	9.09	10.91	20.00
कुल		60.00	40.00	100.00
उस की सूचना दी	हाँ	21.82	18.18	40.00
	नहीं	38.18	21.82	60.00
कुल		60.00	40.00	100.00

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 4.6: बाल श्रम

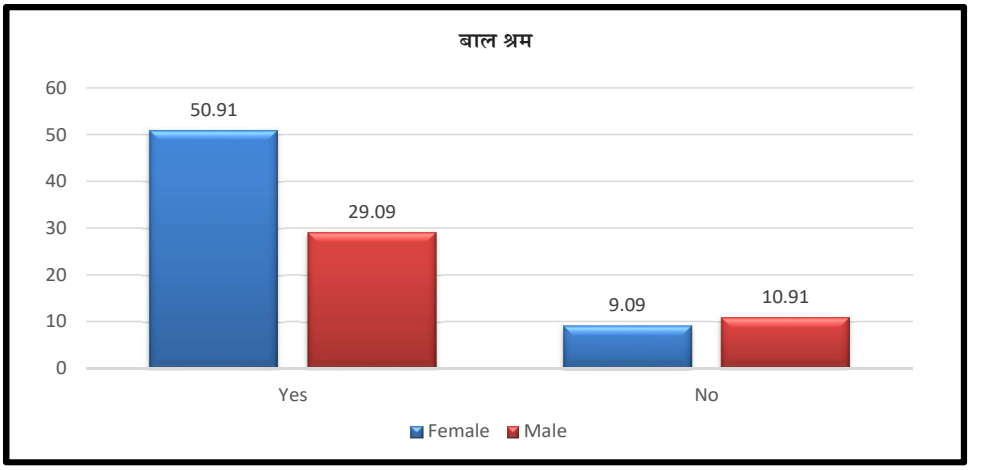

चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई

तालिका 4.7 गाँव में चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाती है और पाया गया कि 20% महिलाओं एवं 5.45% पुरुषों ने इस समस्या का सामना किया।

तालिका 4.7: गाँव में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई

		लिंग		कुल
		महिला	पुरुष	
गांव में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई	हाँ	20.00	5.45	25.45
	नहीं	40.00	34.55	74.55
कुल		60.00	40.00	100.00

स्रोत-क्षेत्र सर्वेक्षण

चित्र 4.7: गाँव में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई

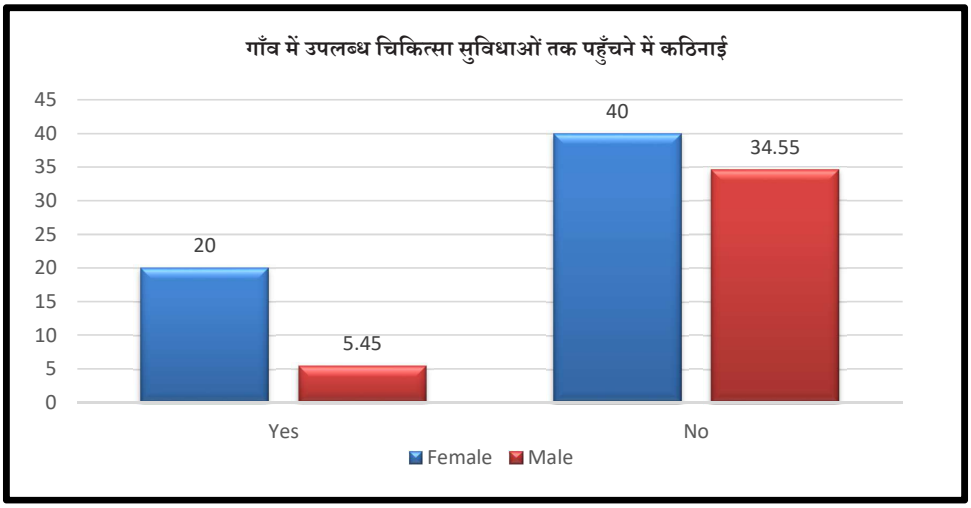

अध्याय 5: अवैतनिक कार्य का पता लगाना

इस अध्याय का उद्देश्य दैनिक गतिविधियों और विशेष रूप से प्रतिभागियों द्वारा चौबीस घंटे में से विभिन्न गतिविधियों में बिताए गए समय को समझना है। इस अध्याय में प्रतिभागियों द्वारा किए गए उस काम, जिसके लिए उन्हें भुगतान नहीं मिला, को करने के लिए उनके द्वारा खर्च किए गए हर मिनट के विवरण को समझना और उसका पता लगाना शामिल हैं। हमने प्रतिभागियों द्वारा खर्च किए गए समय और उनकी गतिविधियों का ट्रैक रखने के लिए एक समय सर्वेक्षण का उपयोग किया है और परिणामों के लिए उसका विश्लेषण किया है।

तालिका 5.1: प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा एक दिन में विभिन्न गतिविधियों में बिताया गया औसत समय (मिनटों में)

गतिविधि की प्रकृति	महिला	पुरुष
सफाई गतिविधियाँ	159	138
खाना पकाने की गतिविधियाँ	155	44
खेत और कृषि कार्य	326	425
बच्चों और बड़ों की देखभाल	91	76
कोई अन्य घरेलू काम	27	0
सोने में	425	458
यात्रा का समय	18	68
फसल की खेती, किचन गार्डनिंग, आदि	40	22
पशुपालन	47	22
मत्स्य पालन, वानिकी, बागवानी	33	19
फल, पानी, पौधे, लकड़ी आदि प्राप्त करना	13	5
निर्माण कार्य	0	19
सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मास मीडिया, आदि	67	65
व्यक्तिगत देखभाल और स्व-रखरखाव	102	82
कुल	1440	1440

नोट: पूर्णांकन के कारण आंकड़े 1440 तक नहीं जुड़ सकते हैं

स्रोत: फील्ड टाइम सर्वे

तालिका 5.1 से यह देखा जा सकता है कि सोने के अलावा महिलाओं ने एक दिन में औसतन 326 मिनट "खेत और कृषि कार्य" पर और 159 मिनट "अवैतनिक सफाई गतिविधियों" पर बिताया, जबकि इन गतिविधियों पर पुरुषों द्वारा बिताया गया औसत समय क्रमशः प्रति दिन 425 मिनट और 138 मिनट प्रति दिन था। "अवैतनिक खाना पकाने की गतिविधियों" में महिलाओं की औसत भागीदारी 155 मिनट है जबकि पुरुष उस के लिए औसतन केवल 44 मिनट खर्च करते हैं। महिलाओं द्वारा "बच्चों और बड़ों की अवैतनिक देखभाल" के लिए एक दिन में औसतन 91 मिनट खर्च किए गए, जबकि पुरुषों द्वारा इस गतिविधि पर 76 मिनट खर्च किए गए।

अन्य गतिविधियाँ जैसे "अवैतनिक पशुपालन" और "फल, पानी, पौधे, लकड़ी, आदि की अवैतनिक प्राप्ति" में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक भागीदारी देखी गयी। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करती हैं या दूसरे शब्दों में

महिलाओं का काम पुरुषों की तुलना में अधिक अवैतनिक रहता है। पुरुष अपना अधिकांश समय सवेतन गतिविधियों में व्यतीत करते हैं और परिवार के एकमात्र कमानेवाला का खिताब प्राप्त करते हैं।

चित्र 5.1: प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा एक दिन में विभिन्न गतिविधियों में बिताया गया औसत समय (मिनटों में)

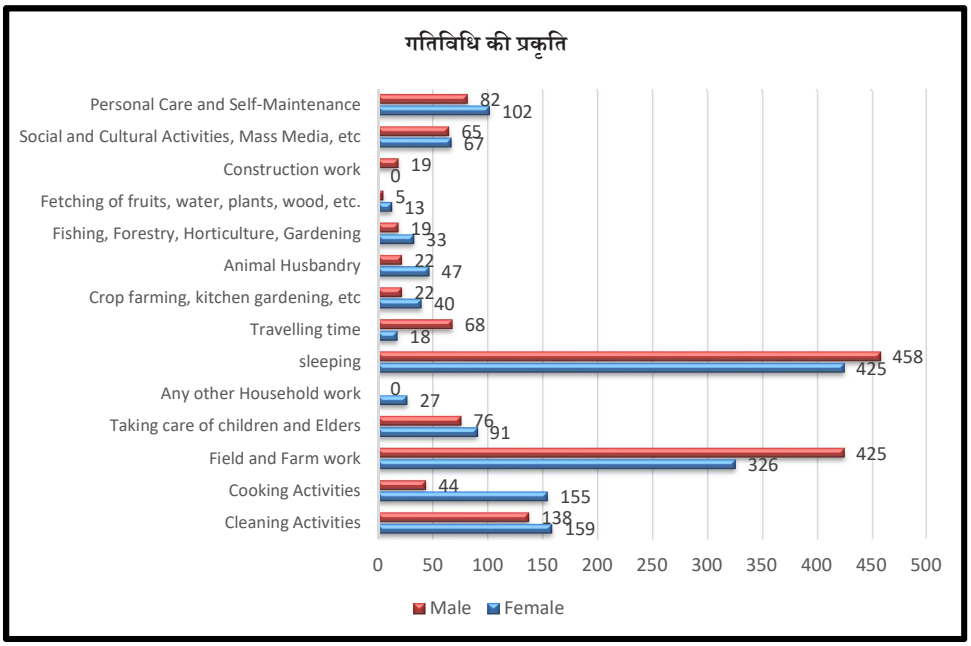

अध्याय 6: मामला अध्ययन

प्रारंभिक	**ग्रामीण शिविर विकास पर एक नज़र डालने और चुनौतियों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करते हैं। यह गांव में सक्रिय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतों की एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।**
परिचय और पृष्ठभूमि	इस ई-ग्रामीण शिविर का मूल उद्देश्य ग्रामीण समाज और आर्थिक संबंधों की समझ विकसित करना था। शिविर का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना एवं उनका निदान करना और उनके समाधान तलाशना था। इस प्रकार प्रतिभागियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट सत्र का आयोजन किया गया।
क्रियाविधि	ग्रामीण शिविर के प्रत्येक सत्र में प्रतिभागियों को अपने कौशल का उपयोग करना सिखाया गया जिससे उन्हें सभी चार श्रम संहिताओं को समझने में मदद मिली। जमीनी स्तर पर स्थानीय प्रगणक द्वारा ई-कैंप के दौरान गहन भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से एकत्र किए गए मामला अध्ययन के माध्यम से प्रतिभागियों की समस्याओं और चुनौतियों को देखने का प्रयास किया गया। प्रतिभागियों को अपनी समस्याओं की पहचान करने और इस विषय पर और वर्णित मामलों पर वैकल्पिक रणनीतियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
केस 1	मीना देवी वाराणसी के धौरहरा गांव की रहने वाली है। वह एसटी वर्ग से ताल्लुक रखती है और उसका पति परिवार में अकेला कमाने वाला है। वह मनरेगा मजदूर के रूप में काम करता है। उसे आसानी से काम नहीं मिलता। धौरहरा गांव एक नदी के तट पर है और यह हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ के कारण ग्रामीणों का रोजगार और शिक्षा प्रभावित हुई है। गांव में पक्के/कंक्रीट सड़क की कमी जैसी ढांचागत चुनौतियां हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान (परिवहन) में आवाजाही में बाधा उत्पन्न करती हैं। समस्या को प्रधान तक ले जाया गया है लेकिन चकबंदी की प्रक्रिया के कारण गांव में सड़कें नहीं बन पा रही हैं। उसका पति मनरेगा मजदूर के रूप में प्रतिदिन 202 रुपये कमाता है लेकिन यह उनके दैनिक उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है। स्रोत: मिथलेश पांडे (स्थानीय प्रगणक)
केस 2	वरमिला देवी धौरहरा गांव की रहने वाली है। उसने मनरेगा में अपना नाम दर्ज कराया लेकिन पिछले दो वर्षों से उसके पास पर्याप्त रोजगार नहीं है क्योंकि कोविड-19 के कारण कई श्रमिक वापस अपने पैतृक गांव आ गए हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। गांव में कारखानों की कमी है और इसलिए रोजगार के अवसर कम हैं। वह उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर योजना का उपयोग करती है लेकिन अन्य खर्चों को कवर करना मुश्किल है।

परिणाम	उपर्युक्त मामलों से यह देखा गया कि साक्षरता, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के अभाव में धौरहरा के लोगों को अपने परिवार और खुद का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। यदि उन्हें अवसर और सहायता प्रदान की जाती है तो वे कमा सकते हैं और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सकते हैं।
सारांश और मूल्यांकन	धौरहरा गांव के निवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे: • रोजगार के कम अवसर • हर साल बाढ़ • ढांचागत चुनौतियां
निष्कर्ष	उपरोक्त मामला अध्ययनों का विश्लेषण करते समय भूमि जोत, रोजगार के कम अवसर, कमजोर वर्गों के उत्पीड़न, तीव्र गरीबी आदि से संबंधित मुद्दे सामने आए। ग्रामीण जनता में श्रम संहिताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल संहिता और कानून ही ग्रामीण भारत की जटिल समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते हैं।
भविष्य के लिए सिफारिशें	ग्रामीण गरीबों को खुद को संगठित करने में सक्षम होना चाहिए। ग्रामीण भारत में प्रचलित गरीबी क्षेत्रों में उपलब्ध सीमित संसाधनों पर दबाव का परिणाम हो सकती है। एमएसएमई या अन्य संगठन/कारखाने बनाकर रोजगार की समस्याओं से निपटा जा सकता है और बोझ को ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि संबद्ध क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का भी संगठित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए।
समापन टिप्पणी	ग्रामीण भारत की प्रगति ग्रामीण आबादी और स्वयं को कुशल बनाने की उनकी क्षमता में निहित है। ग्रामीण संगठन हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और यहां तक कि देश को मजबूत करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अध्याय 7: निष्कर्ष और सिफ़ारिश

- अधिकांश प्रतिभागियों, विशेष रूप से महिलाओं को बेरोजगार और अशिक्षित पाया गया। प्रतिभागियों के पास आधार और मनरेगा कार्ड जैसे बुनियादी दस्तावेज हैं, जिनका उपयोग उनमें से कई ने बैंकिंग सेवाओं में किया था और अधिकांश को गांव के विकास कार्यक्रमों के बारे में पता था। अधिकांश पुरुष प्रतिभागियों के पास जमीन थी और वे बाल देखभाल में भी शामिल थे।
- उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के धौरहरा गांव में 3-4 इंटरनेट टावरों के साथ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन था।
- अधिकांश प्रतिभागियों के पास शौचालय और पीने के पानी की सुविधा है। अधिकांश प्रतिभागी शैक्षणिक संस्थानों के पास रहते हैं लेकिन कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच संकटपूर्ण थी।
- समस्या की पहचान ने ई-शिविर में एक प्रमुख भूमिका निभाई। प्रतिभागियों की समस्याओं और चुनौतियों को दो तकनीकों का उपयोग करके नोट किया गया था, पहली तकनीक समस्या पहचान प्रश्नावली थी और दूसरी समस्या पहचान सत्र के माध्यम से जो शिविर के तीन दिनों तक जारी रही।
- यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिभागियों की जिन प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई, वे इस प्रकार थीः पेयजल की अनुपलब्धता, गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में कठिनाई, पक्की/कंक्रीट सड़कों का निर्माण नहीं होना, गांवों के बीच और परिवारों के भीतर भूमि जोत और चकबंदी विवाद, लंबे समय तक बिजली कटौती, घरेलू हिंसा, गांव में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई, गांव में हर साल बाढ़ की घटनाएं और फसलों का विनाश, अस्थायी / कच्चे घरों में रहने वाले किसानों के प्रति जमींदारों का अशिष्ट व्यवहार, आदि।
- लेकिन सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार और मनरेगा रोजगार के अवसरों की कमी है।
- यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाएं अपना अधिकांश समय अवैतनिक गतिविधियों में बिताती हैं जबकि पुरुष अपना अधिकांश समय सवेतन गतिविधियों में व्यतीत करते हैं।
- गहराई से समझने के लिए शिविर के बाद ग्राम प्रधान के साथ बैठक भी की गई। तीन दिनों में जिन समस्याओं पर चर्चा हुई, उन्हें समझने के लिए चर्चा हुई। इसलिए, ई-शिविर के सभी प्रमुख कर्मियों के प्रयास से यह सिफारिश की गई कि भूमि को आधिकारिक रूप से विभाजित करने के लिए गाँव में पारदर्शी चकबंदी प्रक्रिया हो, यह गाँवों के बीच के विवादों को सुलझाएगी और अतिरिक्त भूमि का उपयोग ग्राम प्रशासन द्वारा गांव के भीतर और बाहर आने-जाने की सुविधा के लिए को पक्की सड़कों का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है।
- रोजगार के अवसरों की कमी प्रतिभागियों के बीच लगातार समस्या के रूप में रही है। इसलिए, कार्य की दुनिया में नए अवसरों के साथ प्रतिभागियों को स्थापित करने के लिए उन्हें "ई-श्रम" और राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल से परिचित कराया गया।
- शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं का वर्णन करने वाले सत्र भी शामिल थे जो गरीबों को आवास के प्रावधान के लिए आवास योजना, व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास और पुन: एकीकरण के लिए उज्ज्वला योजना, बालिका कल्याण सेवाओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने और दक्षता में सुधार करने के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उपयोगी थे। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, उन्हें ग्राम प्रधान के सहयोग से आगे की पढ़ाई के लिए नेशनल ओपन स्कूल से जोड़ा गया।

अनुलग्नक 1- पहला दिन, ई-शिविर

अनुलग्नक 1.1

International Collaborations
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
MoU with Korea Labour Institute
कोरिया श्रम संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन
SAARC Workshop on Child Labour
बाल श्रम पर सार्क कार्यशाला
MoU with Govt. of Afghanistan to organise specialised training programmes for Afghan Officials
सरकार के साथ समझौता ज्ञापन अफगान अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अफगानिस्तान के

MoU with National Institute of Labour Studies, Sri Lanka
राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, श्रीलंका के साथ समझौता ज्ञापन
MoU with ILOs' International Training Centre, Turin
ILO के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन के साथ समझौता ज्ञापन

Publications
प्रकाशन

Publications
Bi-annual Academic Journal dedicated to advancing the understanding of various aspects of labour through theoretical analysis and empirical investigation
Bi-monthly Journal reflecting on the latest case laws in the field of labour and industrial relations

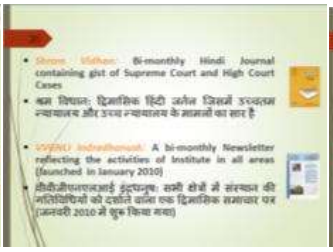
Bi-monthly Hindi Journal containing gist of Supreme Court and High Court Cases
A bi-monthly Newsletter reflecting the activities of Institute in all areas (launched in January 2010)

Publications प्रकाशन

CAMPUS AND INFRASTRUCTURE
परिसर और बुनियादी ढांचा

Campus and Infrastructure
परिसर और बुनियादी ढांचा
The Institute moved to its own campus at Sector-24, NOIDA in 1990
Administrative Block
Library Block
Residential Block
Seminar Block
Hostel Block
Contd. ...

Administrative Block
प्रशासनिक ब्लॉक

Seminar Block
संगोष्ठी ब्लॉक

Hostel Block छात्रावास ब्लॉक

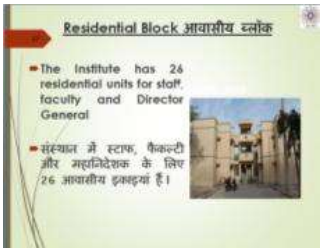
Residential Block आवासीय ब्लॉक
The Institute has 26 residential units for staff, faculty and Director General
संस्थान में स्टाफ, फैकल्टी और महानिदेशक के लिए 26 आवासीय इकाइयां हैं।

N.R. De Resource Centre on Labour Information
एन.आर. श्रम सूचना पर संसाधन केंद्र
Library Block पुस्तकालय ब्लॉक

Faculty

OFFICERS
Harsh Singh Rawat Administrative Officer
S.K.Verma Asstt. Library Information Officer
V.K. Sharma Asstt. Administrative Officer
Shailesh Kumar Accounts Officer
J.K.Kaul Consultant (Programme)

VISION AND MISSION OF THE INSTITUTE
संस्थान का विजन और मिशन

Thank You

अनुलग्नक 1.2

Understanding Self
स्वयं को समझना
Shashi Bala
शशि बाला
हार्दिक स्वागत!
स्वागत
हमें खुशी है, आप यहां हैं।
•"चेहरे के भावों का ध्यान से पढ़ने की अपनी फायदेमंद आदत बना लें। आप एक चेहरे में सारा मानव नाटक देख सकते हैं।
•आप इसके मालिक का इतिहास बता सकते हैं।"
•वर्नोन हॉवर्ड द्वारा "द मिस्टिक पाथ टू कॉस्मिक पावर"
•"आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपके पास उसे पास करने की शक्ति है। वह पुरुष या महिला जो शांति से और वास्तविक रूप से इस सत्य की अहमियत को स्वीकार करता है, जल्द ही खुद को अनोखी उपलब्धियों से कहीं अधिक पास कर पाएगा, जिसका उसने पहले सपना देखा था।
•वर्नोन हॉवर्ड द्वारा "द मिस्टिक पाथ टू कॉस्मिक पावर"।
1. अपने जुनून की खोज करें
Define Success
सफलता को समझाएँ -
Know your personality style
अपने व्यक्तित्व को जानें
WHAT IS YOUR PERSONALITY TYPE?
Set goals लक्ष्य बनाना
Think विचार करना
Operate with Integrity
Execute कार्य को करना
Give back वापस देना
5 साल पहले
1 साल पहले
चार वर्ग
1 साल से अब तक
5 साल से अब तक
Smart goals लक्ष्य में समझदारी
S • Specific विशेष
M • Meaningful अर्थपूर्ण
A • Action Oriented
R • Realistic वास्तविक
T • समय अनुमान
SWOT Analysis
Strengths शक्ति
Weaknesses कमजोरियां
Opportunities अवसरों
Threats डर
स्वोट विश्लेषण
शक्ति
कमजोरियाँ
अवसरों
डर

STRENGTHS शक्ति
WEAKNESSES कमजोरियाँ
OPPORTUNITIES अवसरों
THREATS डर
STRENGTHS शक्ति
WEAKNESSES कमजोरियाँ
OPPORTUNITIES अवसरों
THREATS धमकी

अनुलग्नक 1.3

Understanding Gender
लिंग को समझना
V.V. Giri National Labour Institute, Noida
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा
Women give birth to babies, men don't.
महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष नहीं।
Care of babies is the responsibility of women because they can breastfeed them.
शिशुओं की देखभाल करना महिलाओं की जिम्मेदारी है क्योंकि वे उन्हें स्तनपान करा सकती हैं।
Men's voice break at puberty; women's do not
यौवन आरम्भ में पुरुषों की आवाज बदल जाती है, महिलाओं की नहीं।
Men have moustaches.
पुरुषों की मूछें होती हैं।
Women cannot carry heavy loads.
महिलाएं भारी बोझ नहीं उठा सकती हैं।
Women are scared of working outside their home at nights.
महिलाएं रात में अपने घर से बाहर काम करने से डरती हैं।
Women are emotional and men are rational.
महिलाएं भावुक होती हैं और पुरुष विवेकशील होते हैं।
Most of the women have long hair and men have short hair.
अधिकांश महिलाओं के बाल लंबे होते हैं और पुरुषों के बाल छोटे होते हैं।
Most scientists are men.
अधिकांश वैज्ञानिक पुरुष हैं।
Cooking comes naturally to women.
महिलाओं को खाना बनाना सहज रूप से आता है।
Only women can breastfeed.
केवल महिलाएं ही स्तनपान करा सकती हैं।
Girls are gentle, boys are rough.
लड़कियाँ कोमल स्वभाव की होती हैं, लड़कों का व्यवहार रूखा होता है।
"One is not born, but rather becomes, a women"
Simone de Veauvoir's formulation distinguish sex from gender and suggest that gender is an aspect of identit ly gradually acquired.
"कोई पैदा नहीं होता है, बल्कि एक महिला बन जाती है"
सिमोन डी वेयोथर का सूत्रीकरण लिंग को लिंग से अलग करता है और सुझाव देता है कि लिंग पहचान का एक पहलू है जिसे धीरे-धीरे हासिल किया गया है।
Impossible Dream नामुमकिन सपना
https://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y
Power Walk Exercise
शक्ति से टहलना व व्यायाम
FOR A FAIR SELECTION EVERYBODY HAS TO TAKE THE SAME EXAM! PLEASE CLIMB THAT TREE
Boy's don't cry
लड़के रोते नहीं हैं
https://www.youtube.com/watch?v=0Nj99epLFqg
हमारे पुस्तकालयों की कीमत चाहे जो भी हो, एक अजनबी राह की तुलना में यह कीमत सस्ती है।
वाल्टर कोलवाइट
The Story of the Praying Hands Painting
प्रार्थना करने वाले हाथों की पेंटिंग की कहानी

इस स्थिति की तुलना महिलाओं के जीवन/समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों में कई/- उत्प्रेरक के रूप में सकारात्मक नीतियों की भूमिका?
EQUALITY

लिंग लेंस
Need to look beyond what is visible
जो दिख रहा है उससे आगे देखने की जरूरत है

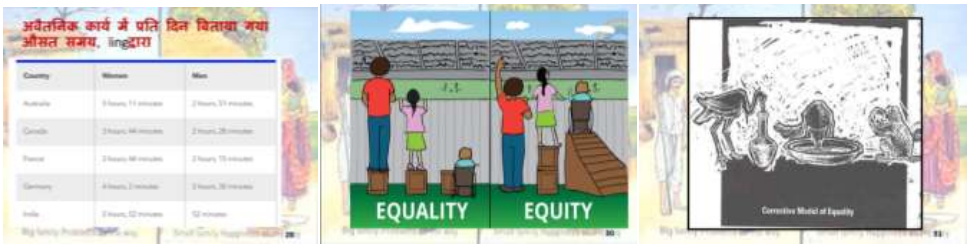
अवैतनिक कार्य में प्रति दिन बिताया गया औसत समय, lingद्वारा
EQUALITY
EQUITY

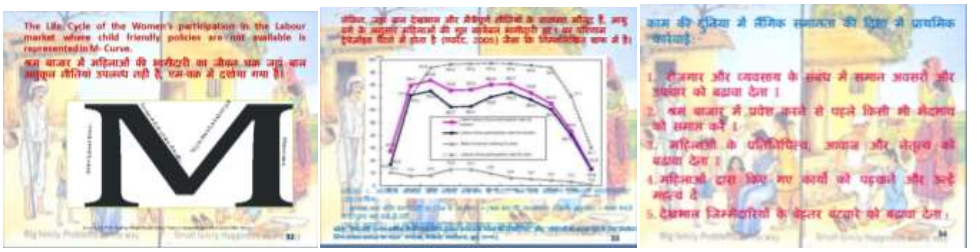
The Life Cycle of the Women's participation in the Labour market where child friendly policies are not available is represented in U-Curve.
M

Thanks! धन्यवाद!
नमस्ते
आपका दिन शुभ रहे !!!

अनुलग्नक 2- दूसरा दिन, ई-शिविर

अनुलग्नक 2

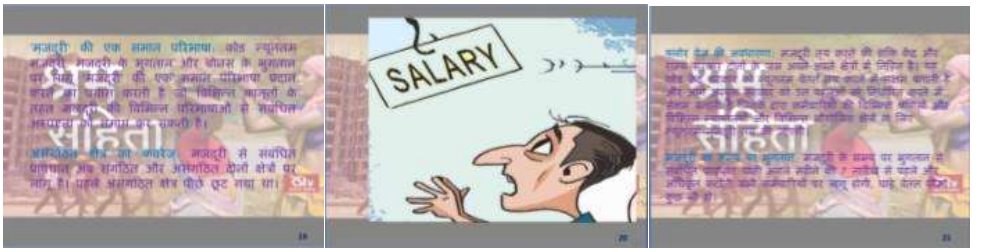

SALARY

वेतन कोड, 2019

धन्यवाद।
HindiCrbut.com

अनुलग्नक 2.2

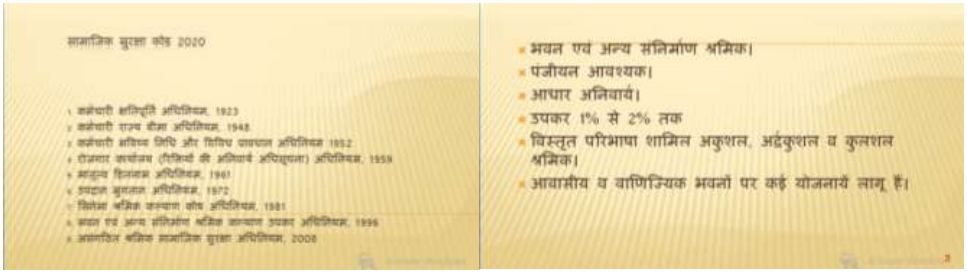
सामाजिक सुरक्षा कोड 2020
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
सिनेमा श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1981
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक।
पंजीयन आवश्यक।
आधार अनिवार्य।
उपकर 1% से 2% तक
विस्तृत परिभाषा शामिल अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिक।
आवासीय व वाणिज्यिक भवनों पर कई योजनायें लागू हैं।

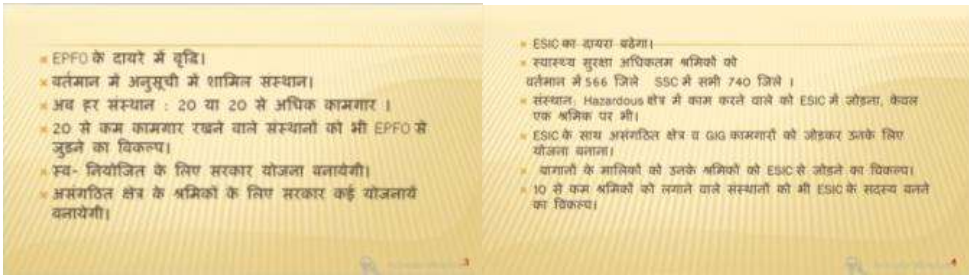
EPFO के दायरे में वृद्धि।
वर्तमान में अनुसूची में शामिल संस्थान।
अब हर संस्थान : 20 या 20 से अधिक कामगार ।
20 से कम कामगार रखने वाले संस्थानों को भी EPFO से जुड़ने का विकल्प।
स्व- नियोजित के लिए सरकार योजना बनायेगी।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार कई योजनायें बनायेगी।
ESIC का दायरा बढ़ेगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकतम श्रमिकों को
वर्तमान में 566 जिले SSC में सभी 740 जिले ।
संस्थान: Hazardous क्षेत्र में काम करने वाले को ESIC में जोड़ना, केवल एक श्रमिक पर भी।
ESIC के साथ असंगठित क्षेत्र व GIG कामगारों को जोड़कर उनके लिए योजना बनाना।
बागानों के मालिकों को उनके श्रमिकों को ESIC से जोड़ने का विकल्प।
10 से कम श्रमिकों को लगाने वाले संस्थानों को भी ESIC के सदस्य बनने का विकल्प।

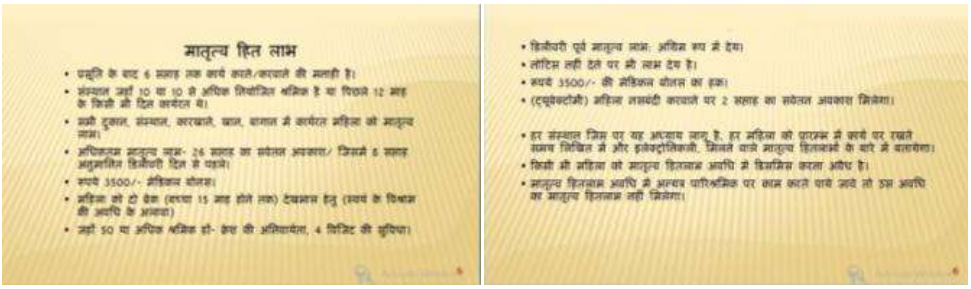
मातृत्व हित लाभ
प्रसूति के बाद 6 सप्ताह तक कार्य कराने/करवाने की मनाही है।
संस्थान जहाँ 10 या 10 से अधिक नियोजित श्रमिक है या पिछले 12 माह के किसी भी दिन कार्यरत थे।
सभी दुकान, संस्थान, कारखाने, खान, बागान में कार्यरत महिला को मातृत्व लाभ।
अधिकतम मातृत्व लाभ- 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश/ जिसमें 8 सप्ताह अनुमानित डिलीवरी दिन से पहले।
रुपये 3500/- मेडिकल बोनस।
महिला को दो ब्रेक (बच्चा 15 माह होने तक) टेबमान हेतु (स्वयं के विकल्प की अवधि के अनुसार)
जहाँ 50 या अधिक श्रमिक हों- क्रेश की अनिवार्यता, 4 विजिट की सुविधा।
डिलीवरी पूर्व मातृत्व लाभ: अधिक रूप में देय।
लॉटिस नहीं देते पर भी लाभ देय है।
रुपये 3500/- की मेडिकल बोनस का हक।
(एप्रेंटिसशिप) महिला नामांकी कराने पर 2 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलेगा।
हर संस्थान जिस पर यह अध्याय लागू है, हर महिला को पारम्भ में कार्य पर रखते समय लिखित में और इलेक्ट्रॉनिकली, मिलने वाले मातृत्व हितलाभों के बारे में बतायेगा।
किसी भी महिला को मातृत्व हितलाभ अवधि में विलम्बित करना अवैध है।
मातृत्व हितलाभ अवधि में अन्यत्र पारिश्रमिक पर काम करते पाये जाये तो उस अवधि का मातृत्व हितलाभ नहीं मिलेगा।

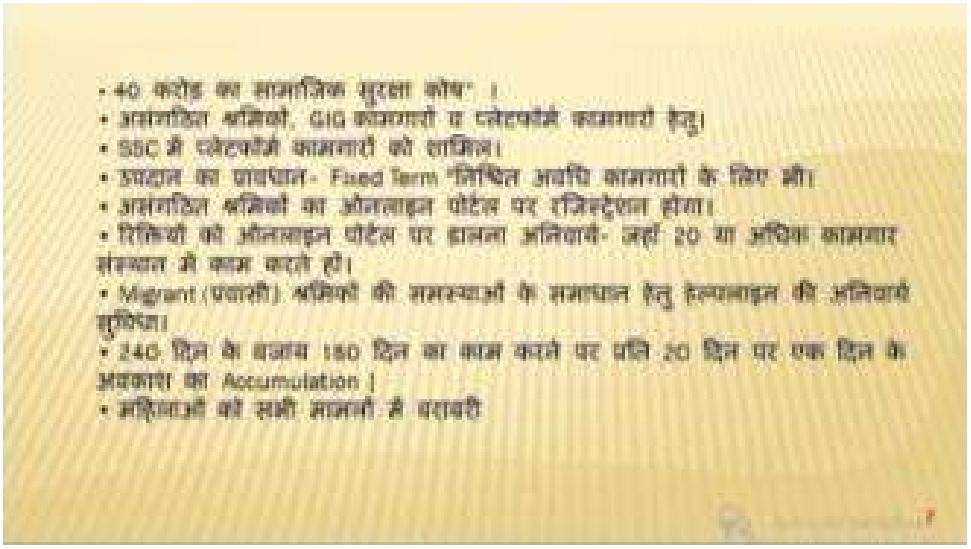
40 करोड़ का सामाजिक सुरक्षा कोष ।
असंगठित श्रमिकों, GIG कामगारों व प्लेटफॉर्म कामगारों हेतु।
SSC में प्लेटफॉर्म कामगारों को शामिल।
उपदान का प्रावधान- Fixed Term निश्चित अवधि कामगारों के लिए भी।
असंगठित श्रमिकों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा।
रिक्तियों को ऑनलाइन पोर्टल पर डालना अनिवार्य- जहाँ 20 या अधिक कामगार संस्थान में काम करते हों।
Migrant (प्रवासी) श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु हेल्पलाइन की अनिवार्य सुविधा।
240 दिन के बजाय 180 दिन का काम करने पर प्रति 20 दिन पर एक दिन के अवकाश का Accumulation ।
महिलाओं को सभी मामलों में बराबरी

अनुलग्नक 3- तीसरा दिन, ई-शिविर

अनुलग्नक 3.1

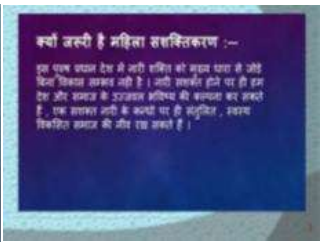

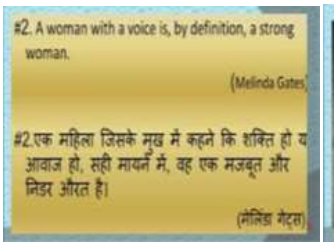

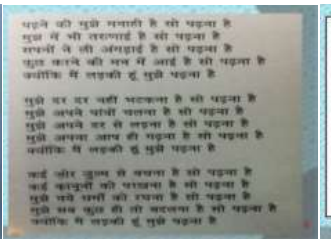

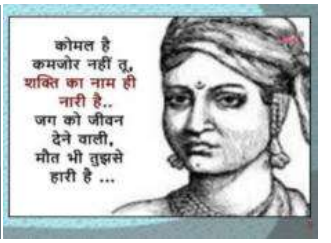

अनुलग्नक 3.2

Occupational Safety, Health, & Working Conditions Code

Prof. Sunil Bakshi

Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, 2020

- Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, 2020
- Code on Wages, 2019
- Industrial Relation Code, 2020
- Code of Social Security, 2020

Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, 2020

The Code replaces 13 labour laws such as

- The Factories Act, 1948
- The Contract Labour Act, 1970
- Inter-State Migrant Workers Act, 1979
- The Dock Workers Act, 1986

Three Labour Codes – Hindi

Definition of Factory

Definition of Factory changed...

With Power – 20 Workers

Without Power – 40 Workers

Hazardous Working Conditions

Manpower limit on hazardous conditions removed. ESI mandatory even if one person is employed

Contract Employees

All Contractors employing 50 or more employees covered under this Code

Contract workers employed through staffing firms, shall be treated at par with regular employees and shall enjoy the benefits of PF, ESI, & Gratuity

Letter of Appointment

No employee shall be employed in any establishment without an Appointment Letter

Letter of Appointment

No employee shall be employed in any establishment without an Appointment Letter

Hours of Work

Flexibility to extend daily working hours to 12, with a weekly cap of 48 hours

Overtime to be paid above 48 hours / week

Hours of Work

- Work 8 hours for 6 days and get 1 day off
- Work 10 hours for 5 days and get 2 days off
- Work 12 hours for 4 days and get 3 days off

Medical Check Up

Annual health check-up of every worker over 45 years of age. Cost to be borne by the employer

Women Employees

Women can work in any shift

Employer is responsible for providing adequate safety...

Migrant Workers

Any worker working outside his home state, and drawing wages of less than Rs.18000/- pm, is a migrant workers

Central / State Govt. to maintain records of interstate migrant workers

Migrant Workers

Migrant workers shall be provided tickets to travel to their home town once a year, by the employer;

They will have access to ration shops across India;

They will be entitled to PF, ESI, etc.

Statement By Labour Secretary

Advantage of These Codes

- The Codes shall increase the ease of doing business in India, thus making it attractive to foreign investors;
- The Codes shall bring the major chunk of unorganised labour force within the ambit of the social security network;
- The Codes shall give the much needed boost to the in-house entrepreneurs to enter into the market;
- The Codes shall reduce the Inspector Raj and move Indian industry towards self regulation & compliance;

The 4 New Labour Codes Deferred

- Since labour is a concurrent subject, both the Union and the state governments need to frame rules, and only after notification of the new rules could the already notified codes be implemented.
- Although the Central Govt. is ready with the rules for the four codes, many state are not yet ready with the rules for their domain.
- Only J&K, UP, Bihar, Uttarakhand, MP and Karnataka have prepared rules for some of the codes.

The 4 New Labour Codes Deferred

- However, states such as Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, Punjab have done nothing in this regard.
- Fearing a "legal void" in case of implementation of the four central new labour codes from April 1, 2021, the Central Government has deferred it for "some time", until at least some of the major industrial states frame rules.

18

New Codes May Be Implemented w.e.f. 1st Oct, 2021

19

Thanks You

Any Questions?

Facilitator:
Prof. Sunil Bakshi
Chief Mentoring Officer
Arc Associates
Mobile: 9868215916
Email: sunil.bakshi@hotmail.com

21

Hindustan Times

By hindustantimes.com | Written by Ayshee Bhadun | Edited by Sohini Goswami, Hindustan Times, New Delhi

PUBLISHED ON AUG 24, 2021 12:52 PM IST

New labour rules with change in work hours, pay to come into effect from Oct 1?

The four new codes on industrial relations, wages, social security and occupational health safety (OSH), and working conditions will rationalise 44 central labour laws, the government has said

अनुलग्नक 4

Problem Identification Questionnaire
समस्या पहचान की प्रश्नावली

Your precious responses are required for this research study. Please tick at appropriate box in the given grid or circle and provide your appropriate response. Some questions may have multiple responses. The data provided will be kept confidential and will be used solely for the purpose of research.
इस शोध अध्ययन के लिए आपकी कीमती प्रतिक्रियाएं आवश्यक हैं। कृपया दिए गए ग्रिड में उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें या गोला लगाएं और उचित प्रतिक्रिया दें। कुछ सवालों के कई जवाब हो सकते हैं। प्रदान किया गया डेटा गोपनीय रखा जाएगा और इसका उपयोग पूरी तरह से अनुसंधान के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

1. Name / नाम	
2. Age / आयु	
3. Sex / लिंग	**1. Male** / पुरुष **2. Female** / महिला **3. Transgender** / ट्रान्सजेंडर
4. Date / दिनांक	
5. Highest education / उच्चतम शिक्षा	**1. Primary** / प्राथमिक **2. Middle** / माध्यमिक **3. Senior Secondary** / उच्चतर माध्यमिक **4. Graduation** / स्नातक **5. Post-Graduation** / परास्नातक **6. Diploma** / डिप्लोमा **7. No Education** / अनपढ़ **8. Any Other** / अन्य कोई
5.1 If Any, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें	
6. Village / गाँव	
7. Does your village have internet connectivity? क्या आपके गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
8. If yes, describe the speed / यदि हाँ, तो स्पीड का वर्णन करें	**1. 2G/ 2** जी **2. 3G/3** जी **3. 4G/4** जी **4. Any Other** / अन्य कोई
8.1 If Any, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें	
9. Do you use Internet? क्या आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
10. In which device do you use your internet on? आप इंटरनेट का उपयोग किस डिवाइस में करते हैं?	**1. Mobile** / मोबाइल **2. Computer** / कंप्यूटर **3. Laptop** / लैपटाप **4. Tablet** / टैबलेट **5. Any other** / कोई अन्य
10.1 If Any, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें	

11. For what purpose you use your internet for? आप अपने इंटरनेट का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं?	**1. Education** / शिक्षा **2. Entertainment** / मनोरंजन **3. Communication** / संचार **4. Availing information** / जानकारी प्राप्त करना **5. Any other** / कोई अन्य
11.1 If Any, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें	
12. How many towers of internet your village holds? आपके गांव में इंटरनेट के कितने टावर हैं?	**1. 1-2** **2. 3-4** **3. 5-6**
13. Are you involved in child care? क्या आप बच्चे की देखभाल में शामिल हैं?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
14. Do you have access to Toilet facilities? क्या आपके पास शौचालय की सुविधा है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
15. If yes, Which यदि हाँ, तो कौन सा	**1. Public toilet** / सार्वजनिक शौचालय **2. Private (In house)** / निजी (घर में) **3. Any Other** / कोई अन्य
15.1 If Any, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें	
16. Do you face any problem regarding availability of Water? क्या आपको पानी की उपलब्धता के संबंध में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
16.1 If Yes, Please Describe / यदि हाँ , तो कृपया उल्लेख करें	
17. From where do you fetch drinking water? पीने का पानी कहाँ से लाते हो?	**1. Tap in house** / घर का नल **2. Hand pump of house** / घर का हैंड पंप **3. Well** / कुआँ **4. Ponds** / तालाब **5. Lake** / झील **6. Bore well** / बोरवेल **7. Any Other** / कोई अन्य
17.1 If Any Other, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें।	
18. Are you aware of any development program of your village? क्या आप अपने गांव के किसी विकास कार्यक्रम से अवगत हैं?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
18.1 If yes, name them यदि हां, तो उन का नाम बताएं।	
19. Do you own land holdings? क्या आपके पास भूमि जोत है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
20. If yes, describe its size. यदि हाँ, तो इस के आकार का वर्णन कीजिए।	**1. 0-2** बीघा **2. 2-4** बीघा **3. 4-6** बीघा **4. Above 6** बीघा **5. Any Other** / कोई अन्य

20.1 If Any Other, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें।	
21. Do you avail banking services क्या आप बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते हैं	**Yes** हाँ / **No** नहीं
21.1 If yes, which one. यदि हाँ, तो कौन-सा	1. **Savings Account** / बचत खाता 2. **Fixed Deposits** / सावधि जमा 3. **Recurring Deposits**/ आवर्ती जमा 4. **Any Other** / कोई अन्य
21.2 If Any Other, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें।	
22. Are you employed? **क्या आपके पास रोजगार है?**	**Yes** हाँ / **No** नहीं
22.1 If yes please describe the nature of work: यदि हाँ, तो कृपया कार्य की प्रकृति का वर्णन करें	1. **Agriculture** / कृषि 2. **Non-Agriculture** / गैर-कृषि 3. **Self-employed** / स्वरोजगार 4. **Allied Activities of Agriculture** / कृषि की संबद्ध गतिविधियाँ 5. **Any Other** / कोई अन्य
22.2 If Any Other, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें।	
23. Do you own any of these documents? क्या आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज है?	1. **Adhaar Card** / आधार कार्ड 2. **Ration Card** / राशन कार्ड 3. **PAN Card** / पैन कार्ड 4. **Any Other** / कोई अन्य
23.1 If Any Other, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें।	
24. Do you have any problem for commuting within and outside the village? क्या आप को गांव के भीतर और बाहर आने-जाने में कोई समस्या है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
24.1 If Yes, Please Describe / यदि हाँ, तो कृपया उल्लेख करें	
25. Are Educational institutions available nearby your house? क्या आपके घर के पास शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध हैं?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
26. Are you facing any dispute regarding your land holdings? क्या आप अपनी भूमि जोत के संबंध में किसी विवाद का सामना कर रहे हैं?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
26.1 If Yes, Please Describe / यदि हाँ, तो कृपया उल्लेख करें	
27. Do you face any problem regarding availability of Electricity? क्या आपको बिजली की उपलब्धता के संबंध में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं

27.1 If Yes, Please Describe / यदि हाँ, तो कृपया उल्लेख करें	
28. Does your children have access to online education? क्या आपके बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
28.1 If Yes, Do they face any difficulty while accessing it? यदि हाँ, तो क्या उन्हें इस तक पहुँचने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
29. Have you ever faced any kind of domestic violence in your life? क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना किया है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
29.1 If Yes, Have you reported the same? यदि हाँ, तो क्या आपने इसकी सूचना दी है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
30. Have you ever witness child labour in your village? क्या आपने कभी अपने गांव में बालश्रम देखा है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
30.1 If Yes, Have you reported the same? यदि हाँ, तो क्या आपने इसकी सूचना दी है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
31. Does your village have any Micro, Small or Medium enterprise? क्या आपके गांव में कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
31.1 If yes, Do they produce beneficial employment opportunities? यदि हां, तो क्या वे लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
32. Have you ever faced any difficulty while accessing the medical facilities available in your village? क्या आपको अपने गाँव में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल करने में कभी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
32.1 If Yes, Please Describe / यदि हाँ, तो कृपया उल्लेख करें।	
33. Do all of your children attend School or any other educational institutions? क्या आपके सभी बच्चे स्कूल या किसी अन्य शिक्षण संस्थान में जाते हैं?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
33.1 If No, please provide the reason. यदि नहीं, तो कृपया कारण बताएं।	
34. Have you received any of the COVID-19 Vaccination? क्या आपने कोई कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त किया है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
34.1 If Yes, did you face any difficulty, please mention? यदि हाँ, तो क्या आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, कृपया उल्लेख करें?	
35. Do you have access to bank facilities? क्या आपकी पास बैंक सुविधाओं तक पहुंच है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं

35.1 If yes, Which one यदि हां, तो कौन सा	1. **Saving Account** / बचत खाता 2. **Current Account** / चालू खाता 3. **Fixed Deposit** / सावधि जमा 4. **Credit Facility** / उधार की सुविधा 5. **Any Other** / कोई और
35.2 If Any Other, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें।	
36. Have you studied from ITI or any other technical institution? क्या आपने आई टी आई या किसी अन्य तकनीकी संस्थान से पढ़ाई की है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
36.1 Did you receive any employment opportunity after studying from ITI? क्या आई टी आई से पढने के बाद आपको रोजगार का कोई अवसर मिला?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
37. What are the infrastructural challenges you are facing in your village? आप अपने गांव में किन ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?	1. **Broken roads** / टूटी सड़कें 2. **Collapsed public buildings** / ढह गए सार्वजनिक भवन 3. **Ruptured Pipelines** / टूटी पाइप लाइन 4. **Any other** / कोई अन्य
37.1 If Any Other, Please Describe / यदि कोई अन्य हो, तो कृपया उल्लेख करें।	
38. Do you have any problem in accessing the schemes and programmes of Government? क्या आपको सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुँचने में कोई समस्या है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
38.1 If Yes, Please Describe यदि हाँ, तो कृपया वर्णन करें	
39. Have your kids completed their schooling? क्या आपके बच्चों ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है?	**Yes** हाँ / **No** नहीं
39.1 If no, please mention the reason. यदि नहीं, तो कृपया कारण बताएं।	

अनुलग्नक 5

Time Survey
समय सर्वेक्षण

Your precious responses are required for this research study. Please tick at appropriate box in the given grid or circle and provide your appropriate response. Some questions may have multiple responses. The data provided will be kept confidential and will be used solely for the purpose of research. इस शोध अध्ययन के लिए आपकी कीमती प्रतिक्रियाएं आवश्यक हैं। कृपया दिए गए ग्रिड में उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें या गोला लगाएं और उचित प्रतिक्रिया दें। कुछ सवालों के कई जवाब हो सकते हैं। प्रदान किया गया डेटा गोपनीय रखा जाएगा और इसका उपयोग पूरी तरह से अनुसंधान के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।	
1. Name / नाम	
2. Age / आयु	
3. Sex / लिंग	**1. Male** / पुरुष **2. Female** / महिला **3. Transgender** / ट्रान्सजेंडर
4. Date / दिनांक	
Please give an account of your daily activities (Upto to 24 hours). कृपया अपनी दैनिक गतिविधियों **(24** घंटे तक**)** का लेखा-जोखा दें।	
1. **Cleaning Activities**/सफाई गतिविधियां	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
2. **Cooking Activities** / खाना पकाने की गतिविधियाँ	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
3. **Field and Farm Work** / खेत और कृषि कार्य	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
4. **Taking care of children and Elders**/ बच्चों और बड़ों की देखभाल करना	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
5. **Any other Household work** / कोई अन्य घरेलू कार्य	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
6. **Study and learning** / अध्ययन और सीखना	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
7. **Sleeping** / सोने में	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
8. **Travelling time**/ यात्रा का समय	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
9. **Crop farming kitchen gardening, etc.** / फसल की खेती किचन गार्डनिंग आदि।	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
10. **Animal Husbandry** / पशुपालन	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
11. Fishing, Forestry, Horticulture, Gardening / मत्स्य पालन, वानिकी, बागवानी	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
12. Fetching of fruits, water, plants, wood etc. / फल, पानी, पौधे, लकड़ी आदि प्राप्त करना।	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
13. Processing and Storage of grains / अनाज का प्रसंस्करण और भंडारण	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
14. **Construction work** / निर्माण कार्य	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
15. **Manufacturing Activities** / विनिर्माण गतिविधियां	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
16. **Trade and business related activities** / व्यापार और व्यवसाय से संबंधित गतिविधियाँ	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
17. **Services private or Government Service** / सेवाएं निजी या सरकारी सेवा	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
18. **Household Maintenance Management and shopping for own Household** / घरेलू रखरखाव प्रबंधन और अपने घर के लिए खरीदारी	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
19. **Community service and Help to other** / सामुदायिक सेवा और दूसरों की मदद	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
20. **Community service and help to other household** / सामुदायिक सेवा और अन्य परिवारों की मदद	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
21. **Social and Cultural Activities, Mass Media, etc.**/ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मास मीडिया, आदि।	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
22. **Personal Care and Self Maintenance** / व्यक्तिगत देखभाल और स्व-रखरखाव	**1 hour, 2 hours, 3 hours..... 24 hours** 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ..... चौबीस घंटे
If Any Other Activity, Please Describe / यदि कोई अन्य गतिविधि है, तो कृपया वर्णन करें	

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301, उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in